BCCI BULLETIN

Vol. 54 | MAY 2023 | No. 5

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

GeM के वित्त निदेशक के साथ चैम्बर में बैठक

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल GeM के वित्त निदेशक श्री अमरदीप गुप्ता एवं क्षेत्रीय प्रमुख, बिहार मो. इम्तियाज अंसारी एवं अन्य अधिकारियों से विचार-विमर्श करते हुए।
उनकी बाँयीं ओर चैम्बर के कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, कार्यकारिणी सदस्य श्री अनिल पचिसिया, श्री ए. के. पी. सिन्हा एवं श्री आलोक पोद्दार।

GeM के अधिकारियों के साथ बैठक में उपस्थित चैम्बर के पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण।

दिनांक 16 मई, 2023 को GeM के वित्त निदेशक श्री अमरदीप गुप्ता एवं क्षेत्रीय प्रमुख, बिहार मो. इम्तियाज अंसारी चैम्बर के पदाधिकारियों एवं सदस्यों से मिले।

उन्होंने चैम्बर के सदस्यों के साथ GeM के आगामी कार्यक्रम चैम्बर प्रांगण में कराने के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श किया।

उक्त अवसर पर चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, पूर्व महामंत्री श्री ए. के. पी. सिन्हा एवं श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, कार्यकारिणी सदस्य श्री अनिल पचिसिया, श्री आलोक पोद्दार, श्री अंजन विश्वास, श्री पवन भगत, श्री जे. पी. तोदी एवं श्री मुकेश कुमार उपस्थित थे।

लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिलहाल दो हजार के नोट अमान्य नहीं हैं

रिजर्व बैंक ने 2000 का नोट चलन से वापस लेने की घोषणा कर दी है, लेकिन मौजूदा नोट फिलहाल अमान्य नहीं होंगे, कानूनी तौर पर बाजार में वे 30 सितंबर तक चलन में रहेंगे। रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिये हैं कि 30 सितंबर तक इन नोटों को बदलते रहे, इस संबध में प्रभात खबर ने सूबे के प्रमुख कारोबारी उद्योग संगठनों से बातचीत की :-

"दो हजार रूपये का नोट अगले तीन माह बाद चलन से बाहर हो जायेगा, सरकार का यह निर्णय सही है, इस तरह का निर्णय देश के हित में लिया जाता है, इसलिए कारोबारी, उद्योगपति या फिर आम लोगों को बहुत परेशानी होने की संभावनाएं नहीं है। सरकार ने पिछली बार अचानक लिगल टेंडर समाप्त कर दिया था, लेकिन इस बार 30 सिंतबर तक दो हजार के नोट का लिगल टेंडर रहेगा, इसलिए परेशानी नहीं होगी।"

– **पी. के. अग्रवाल,** अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज

(विस्तृत : प्रभात खबर, 20.05.2023)

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 के नोट को प्रचलन से बाहर करने का निर्णय लिया है और नोट को बैंक में जमा करने या इसे बदलने के लिए 23 मई से 30 सितम्बर 2023 का समय दिया गया है। **RBI ने नोटों के बदलने के लिए अच्छा समय दिया है । इससे लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए ।**

RBI ने देश के बैंकों में पड़े बिना दावे वाली Deposits के वारीसों को खोजने के लिए एक जून, 2023 से 100 दिन का विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है । **इस दौरान बैंकों के "100 Days 100 Page" अभियान के तहत देश के हर जिले में बैंक के Top unclaimed Deposits के सही मालिक या दावेदारों का पता लगाकर उन्हें पैसे लौटाये जाएंगे ।**

चैम्बर लगातार गत कई सालों से झाझा से दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन के बीच तीसरी रेलवे लाइन बनाने के लिए भारत सरकार से मांग करता रहा है । यह खुशी की बात है कि बहुप्रतीक्षित तीसरी रेलवे लाइन के सर्वे का कार्य प्रारम्भ हो चुका है । चैम्बर की ओर से एक बार पुनः अनुरोध किया गया है कि जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा कराया जाना चाहिए । तीसरी लाइन के बन जाने से पटना, राजेन्द्र नगर, दानापुर सहित प्रमुख स्टेशनों से खुलने वाली एवं इस रूट से गुजरने वाली ट्रेनों की गति बढ़ेगी ।

जीएसटीएन ने 100 करोड़ रूपये से अधिक के कारोबार वाली कम्पनियों के लिए अपने पुराने ई–चालान को अपलोड करने की समय सीमा के क्रियान्वयन को तीन माह के लिए टाल दिया गया है । सात दिनों के अन्दर चालान पंजीकरण पोर्टल (IRP) पर डालना होगा । पहले यह व्यवस्था 1 मई से लागू होने जा रही थी । **जीएसटी कानून के तहत यदि आईआरपी पर चालान अपलोड नहीं किये गये, तो कम्पनियाँ इन्पुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का लाभ नहीं उठा सकती है ।**

पॉच करोड़ रूपये से अधिक के कारोबार वाली कम्पनियों को आगामी पहली अगस्त से B2B लेन देन के लिए इलेक्ट्रॉनिक या ई–इन्वॉयस (चालान) निकालना होगा । अभी तक 10 करोड़ रूपये या अधिक के कारोबार वाली कम्पनियों के B2B लेन देन के लिए ई–चालान निकालना होता है । वित्त मंत्रालय के अनुसार B2B में लेन–देन के लिए ई–चालान निकालने की सीमा को 10 करोड़ रूपये से घटाकर 5 करोड़ रूपये कर दिया गया है । **यह व्यवस्था एक अगस्त से लागू होगी ।**

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने स्वर्ण आभूषणों की हॉल मार्किंग मामले में बदलाव किया है । इसके तहत बीआईएस केयर ऐप में छह अंकों वाला हॉल मार्किंग आई डी नम्बर डालने पर हॉल मार्किंग करने वाले ज्वेलर का नाम दिखाई नहीं देगा । इसकी जगह ज्वेलर का लाइसेंस नम्बर ही दिखेगा । **यह फैसला चैम्बर एवं ज्वेलर्स संगठनों की मांग पर लिया गया है ।**

राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (SIPB) एवं बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट (BSFT) की बैठक दिनांक 19 मई, 2023 को श्री विवेक कुमार सिंह, भा0प्र0से0 की अध्यक्षता में हुई थी । **उक्त बैठक में चैम्बर की ओर से उपाध्यक्ष श्री एन0के0 ठाकुर एवं कार्यकारिणी सदस्य श्री पवन कुमार भगत सम्मिलित हुए थे।**

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) के निदेशक पर्षद की 85वीं बैठक एवं परियोजना समाशोधन समिति (PCC) की बैठक दिनांक 23 मई, 2023 को श्री संदीप पौंड्रिक, भा0प्र0से0 अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, बिहार की अध्यक्षता में विभागीय सभाकक्ष में आयोजित हुई । **इस बैठक में चैम्बर की ओर से मैं सम्मिलित हुआ ।**

सादर,

आपका
पी. के. अग्रवाल
अध्यक्ष

2000 का नोट बदलने के लिए फार्म व आइडी की जरूरत नहीं

हाल ही में चलन से वापस लिए गए 2000 रूपये के अधिकतम 10 नोटों (कुल 20,000 रूपये) को बदलने के लिए किसी फार्म या पहचान पत्र (आइडी) की जरूरत नहीं है। आरबीआइ ने दिनांक 19.5.2023 को 2000 रूपये के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी। इन नोटों को बैंक खातों में जमा करने या बदलने के लिए जनता को 30 सितंबर तक समय दिया गया। हालांकि, 2000 रूपये का नोट 30 सिंतबर तक वैध मुद्रा बना रहेगा, जबकि नवंबर, 2016 की नोटबंदी में 500 रूपये और 1000 रूपये के नोटों को रातो-रात अमान्य कर दिया गया था।

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) ने अपने सभी स्थानीय प्रधान कार्यलयों के मुख्य महाप्रबंधक को पत्र लिखकर कहा है कि आम जनता को एक बार में कुल 20,000 रूपये तक के 2000 के नोटों को बदलने के लिए किसी फार्म की जरूरत नहीं होगी। ऐसे नोटों को अपने खाते में जमा करने के लिए आरबीआइ ने कोई सीमा नहीं तय की है। हालांकि इसके लिए 'अपने ग्राहक को जानो' (केवाइसी) मानदंडों और अन्य लागू वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।

बैंक ने 20 मई के पत्र में कहा, 'नोट बदलते समय कोई पहचान प्रमाण प्रत्र प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है।' एसबीआइ ने अपने स्थानीय प्रधान कार्यलयों को जनता के लिए सभी तरह के सुविधाओं की व्यवस्था करने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक 2000 रूपये के नोट बदलने के लिए कितनी भी बार कतार में खड़ा हो सकता है।

(साभार : प्रभात खबर, 22.05.2023)

राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद एवं बिहार स्टार्ट-अप फंड ट्रस्ट की बैठक में चैम्बर के प्रतिनिधि शामिल हुए

राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद एवं बिहार स्टार्ट-अप फंड ट्रस्ट के बैठक की अध्यक्षता करते विकास आयुक्त, बिहार श्री विवेक कुमार सिंह, भा. प्र. से. तथा बैठक में उपस्थित चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं कार्यकारिणी सदस्य श्री पवन कुमार भगत (बाँयें से दूसरे एवं तीसरे)।

दिनांक 19 मई, 2023 को विकास आयुक्त, बिहार श्री विवेक कुमार सिंह, भा.प्र.से. की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (SIPB) एवं बिहार स्टार्ट-अप फंड ट्रस्ट (BSFT) की बैठक हुई ।

उक्त बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं कार्यकारिणी सदस्य श्री पवन कुमार भगत सम्मिलित हुए।

ऊर्जा खरीद शुल्क बढ़ने पर स्वतः बिल में वृद्धि का मांगा अधिकार

बिहार की बिजली आपूर्ति कंपनियों ने पीपीए (पावर परचेज एग्रीमेंट) से ईंधन दर बढ़ने से ऊर्जा खरीद शुल्क में बढ़ोतरी होने पर स्वतः इसे उपभोक्ताओं के बिजली बिल में समाहित करने का अधिकार मांगा है, इसको लेकर कंपनियों ने फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमैंट (एफपीपीसीए) की बीइआरसी के मल्टी इयर डिस्ट्रीब्यूशन टैरिफ रेगुलेशन 20 में संशोधन को लेकर आयोग में याचिका दी है।

आयोग ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए 28 जून को सुनवाई की तिथि निर्धारित की है, हालांकि इससे पहले 15 जून 2023 तक सभी हितधारकों से इस पर आयोग कार्यलय में लिखित आपत्ति व सुझाव लिये जायेंगे।

चैम्बर और बीआइए के प्रतिनिधियों ने किया विरोध : याचिका की सुनवाई के दौरान मौजूद रहे बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स और बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने कंपनी की इस याचिका का विरोध किया।

इस पर आयोग के अध्यक्ष शिशिर सिन्हा और सदस्य एस. सी. चौरसिया की बैंच ने आयोग सचिवालय को निर्देश दिया कि विद्युत (संशोधन) नियम, 2022 के नियम 14 को लागू करने के लिए संशोधन का ड्राफ्ट प्रकाशित करते हुए इस पर आम जनता और हितधारकों से टिप्पणियां, सुझाव और आपत्तियां स्वीकार करें।

इच्छुक व्यक्ति या संगठन अपनी टिप्पणी, सुझाव या आपत्तियां आयोग कार्यलय में सचिव के समक्ष 15 जून 2023 की शाम पांच बजे तक दर्ज करा सकते है।

(विस्तृत : प्रभात खबर, 19.5.2023)

उत्तर बिहार की महिलाएं उद्यमिता को लेकर सर्वाधिक सक्रिय

महिला उद्यमिता को गति देने के उद्देश्य से चल रही मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत महिलाओं को सरकार पांच लाख रूपये का ऋण और पांच लाख रूपये की सब्सिडी देती है। महिलाओं में उद्यमिता की प्रवृत्ति देखें तो उत्तर बिहार के जिलों में यह अधिक है।

उद्योग विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गए 2022-23 का आंकड़ा यह बताता है कि कुल 1052 महिलाओं को इस योजना के लिए चयन किया गया है। इनमें सबसे अधिक संख्या 61 पूर्वी चंपारण जिले से है।

वहीं इस योजना के तहत उत्तर बिहार का जिला इस श्रेणी में भी है, जहां दस महिलाएं भी इस योजना के लिए आगे नहीं आयीं।

अरवल जिले में केवल 8 का चयन : अरवल जिले में केवल 8 महिलाओं का मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए चयन हुआ है। शेखपुरा में 10, बेगूसराय में 30, औरंगाबाद में 35 तथा नवादा में 25 महिलाओं को इस योजना के लिए चयनित किया गया है।

सर्वाधिक संख्या रेडिमेड वस्त्र उद्योग की : उद्योग विभाग के संबधित अधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत सबसे अधिक काम रेडिमेड वस्त्र व खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र मे होना है।

इस तरह आगे उत्तर बिहार की महिलाएं : उत्तर बिहार में महिला उद्यमिता का आकड़ा पूर्वी चंपारण के 61 के साथ पूरे बिहार में तो आगे है ही साथ में उत्तर बिहार के कई अन्य जिलों में भी महिला उद्यमिता की रफ्तार तेज है। पश्चिम चंपारण में यह 40, मुजफ्फरपुर मे 47, मधुबनी में 45, दरंभगा में 45, समस्तीपुर में 40, सीतामढ़ी में 39, सारण में 41, सिवान में 33 तथा गोपालगंज में 26 है। उत्तर बिहार में शिवहर जिला में मात्र 6 महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिल पाया है।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 22.05.2023)

LEADS Survey के माध्यम से बिहार में Infrastructure एवं Logistic की कमियों को भारत सरकार के समक्ष उजागर करने के सम्बन्ध में चैम्बर में बैठक आयोजित

बैठक को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। उनकी दाँयीं ओर राहुल जयसवाल, प्रोजेक्ट मैनेजर एवं इंफ्रास्ट्रक्चर कमिटि के संयोजक श्री ए. के. पी. सिन्हा तथा बाँयीं ओर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं श्री एन. के. ठाकुर।

बैठक में उपस्थित चैम्बर के पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण।

LEADS Survey के माध्यम से बिहार में Infrastructure एवं Logistic की कमियों को भारत सरकार के समक्ष उजागर करने हेतु बिहार चैम्बर के प्रांगण में एक बैठक दिनांक 31 मई, 2023 को आयोजित हुई।

LEADS Survey के सम्बन्ध में श्री राहुल जयसवाल, प्रोजेक्ट मैनेजर ने सदस्यों को विस्तृत जानकारी देते हुए सदस्यों से आग्रह किया कि अधिकाधिक लोग अपना सुझाव उद्योग संवर्द्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT), भारत सरकार को समर्पित करें।

कार्यक्रम में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, इन्फास्ट्रक्चर सब कमिटि के संयोजक श्री ए. के. पी. सिन्हा सहित काफी संख्या में वरीय सदस्यगण उपस्थित थे।

सूबे में बिना निबंधन चल रहे 25 लाख उद्योग

बिहार में बिना निबंधन के 25 लाख से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग चल रहे हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के 73वें राउंड के सर्वे के मुताबिक, बिहार में 34 लाख सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग है। इनमें से 6.39 लाख ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के पोर्टल पर निर्बंधित हैं। उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पैण्डरीक ने उद्योग निदेशक, जिलों के महाप्रबंधक व उद्योग विस्तार पदाधिकारियों एवं अर्थ अन्वेषकों को अपने-अपने जिलों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का निबंधन एमएसएमई पोर्टल पर कराने का निर्देश दिया है। इसके लिए संबंधित क्षेत्रों में पदाधिकारी जाकर उन उद्योगों के संचालकों को पोर्टल पर निबंधन की जानकारी देगें अथवा अपने कार्यलय में पोर्टल पर निबंधन की जानकारी को लेकर बैठक आयोजित करेगें। उन्होंने कहा कि सभी इस दिशा में तेजी से प्रयास करें ताकि अधिक से अधिक उद्यामों को निर्बंधित किया जा सके। एक बार निबंधन हो जाने से राज्य के उद्योगों व उद्यमियों को भी फायदा होगा।

एमएसएमई में पंजीकृत विनिर्माण-सेवा क्षेत्र के उद्योगों को ये लाभ मिलेगें : • बैंक से कम ब्याज दर पर लोन संभव • आयकर में रियायत मिल सकती है • उद्योग के लिए जल्द लाइसेंस मिल जाता है • एमएसएमई में निर्बिंधित उद्योगों को वरीयता • बिजली के बिल में छूट मिल सकती है • अधिक उत्पादन पर टैक्स में भारी छूट।

उद्योगों को लाभ देना मकसद : एमएसएमई निबंधन एक ऑनलाइन पोर्टल है। इसे सरकार ने नए छोटे और मध्यम उद्यमियों के लिए शुरू किया है, जो आधार कार्ड नंबर की सहायता से उनको अपना व्यवसाय पंजीकृत करने में मदद करता है। इसका मकसद इन उद्योगों को लाभ प्रदान करना है।

सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन है एनएसएसओ : विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, एनएसएसओ भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन संगठन है। यह समाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करता है, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के लिए कार्य क्षेत्र और आर्थिक जनगणना के अनुवर्ती करता है। निबंधित नही होने के कारण इन लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों के बारे में वास्तविक जानकारी सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 16.05.2023)**

मुंबई से आए ढाका के मजदूर हो गए मालिक

कोरोना काल में पश्चिम चंपारण के चनपटिया में लौटे मजदूरों ने प्रशासन के सहयोग से रेडिमेड गार्मेंट फैक्ट्री लगाई। यह उद्यम काफी सफल रहा है। मजदूरों के परिश्रम ने चनपटिया माडल को एक उदाहरण के रूप में स्थापित कर दिया। पश्चिम चंपारण के मजदूरों के मालिक बनने की कहानी खूब तेजी से फैली। पास के पूर्वी चंपारण के ढाका में इसका खूब असर दिखा। वहां से पलायन कर मुंबई के लेदर सेक्टर में बैग तैयार करने वाले मजदूरों का कई समूह ढाका लौट गया। अपने बूते छोटी-छोटी मशीनों को क्रय कर वहां बैग बनाए जाने का बड़ा क्लस्टर विकसित कर लिया। उद्योग विभाग अपने लेदर पालिसी के तहत इन्हें मदद कर रहा है। अब चनपटिया के साथ ढाका माडल की चर्चा होने लगी है। बैग क्लस्टर में कई अन्य जगहों पर भी सक्सेस स्टोरी दिखनी शुरू हो गई है।

अब बड़े-बड़े सुपर मार्केट में दिख रहे ढाका में बने बैग : ढाका के बैग क्लस्टर को सरकार की मदद सिर्फ इतनी है उनके प्रयास से प्राय: सभी मेगा मार्ट में इनके उत्पाद पहुंच गए हैं। इस वजह से इनकी मांग बढ़ गई है। उद्योग विभाग ने जब अपने स्तर से मेले का आयोजन करवाया तो उसमें इनके उत्पाद को जगह मिल गई। अब इनके उत्पाद को बाजार मिल गया है।

बैग क्लस्टर में फतुहा में हाई स्प्रिट ब्रांड : लेदर सेक्टर के तहत बैग क्लस्टर तेजी से आकार ले रहा है। फतुहा में हाई स्प्रिट ब्रांड से बैग बन रहा है। यह ब्रांड पहले से लोकप्रिय है। इसमें भी स्थानीय कारीगरों की बड़े स्तर पर सहभागिता है। पूर्व में मुजफ्फरपुर में जीविका दीदियों के माध्यम से शुरू बैग क्लस्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने स्वयं इनके उत्पादों को उनके कारखाने में ही जाकर देखा है। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 19.05.2023)**

कारखाना बंद होने के बाद परिसर में नहीं रहेंगे कामगार

श्रम संसाधन विभाग ने सभी जिलों को निर्देश भेजा है कि राज्य भर में चलने वाले छोटे व बड़े कारखानों में काम बंद होने के बाद परिसर में किसी कामगार को नहीं रखा जाये। कारखाने में कोई भी कामगार रात में नहीं सोये और उसे वहां नहीं रखा जाये। ऐसा करने वाले कारखानों पर सख्ती से कारवाई की जायेगी। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 13.05.2023)**

चैम्बर अध्यक्ष बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) के निदेशक पर्षद की 85वीं बैठक एवं परियोजना समाशोधन समिति (PCC) की बैठक में सम्मिलित हुए

बैठक में उपस्थित चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल (दाँयीं तरफ से तीसरे)।

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) के निदेशक पर्षद की 85वीं बैठक एवं परियोजना समाशोधन समिति (PCC) की बैठक दिनांक 23 मई, 2023 को श्री संदीप पौंड्रिक, भा.प्र.से. अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, बिहार की अध्यक्षता में विभागीय सभाकक्ष में आयोजित हुई। इस बैठक में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल सम्मिलित हुए।

बियाडा द्वारा इकाइयों को जमीन का आवंटन

April 2023 में BIADA (Bihar Industrial Area Devlopment Authority) के PCC (Project Clearance Committee) की बैठकें दिनांक 17th अप्रील 2023 एवं 24th अप्रील 2023 को हुई जिसमें कुल मिलाकर 5 + 7 = 12 units को land allotment किया गया। जिसकी पूरी सूची Company Name एवं Industry के साथ बिहार ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज (BCCI) में उपलब्ध है। जो सदस्य इस सूची को देखना चाहते हैं, वो चैम्बर में देख सकते हैं।

Date of meeting	Application	No.of Unit
17.04.2023	Application for More than 20,000 sqft	01
	Application Up to 20,000 sqft	05
24.04.2023	Application for More then 20,000 sqft	01
	Application Up to 20,000 sqft	06

May 2023 में BIADA (Bihar Industrial Area Devlopment Authority) के PCC (Project Clearance Committee) की बैठकें दिनांक 2th मई 2023 एवं 8th मई 2023 को हुई। जिसमें कुल मिलाकर 11 + 07 = 18 units को land allotment किया गया। जिसकी पूरी सूची Company Name एवं Industry के साथ बिहार ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज (BCCI) में उपलब्ध है। जो सदस्य इस सूची को देखना चाहते हैं, वो चैम्बर में देख सकते हैं।

Date of meeting	Application	No.of Unit
02.05.2023	Application for More than 20,000 sqft	04
	Application Up to 20,000 sqft	07
08.05.2023	Application for More then 20,000 sqft	05
	Application Up to 20,000 sqft	03

बांका के जयपुर में सोने, क्रोमियम, निकेल जैसे खनिज भंडार का अनुमान, जियोलॉजिकल टीम कर रही है सर्वे

बांका जिले के जयपुर इलाके में खनिज संपदा का भंडार होने की संभावना है। इसको लेकर पिछले तीन दिनों से भारत सरकार की जियोलॉजिकल सर्वे की टीम खनिज संपदा का पता लगा रही है। जयपुर क्षेत्र के चंदेपट्टी गांव के पास जमीन के अंदर ड्रिल मशीन से सैंपल निकालने के लिए खुदाई की जा रही है। इलाके के पांच सौ स्क्वायर किलोमिटर में खनिज संपदा होने की संभावना है।

खनन पदाधिकारी कुमार रंजन ने बताया कि भूगर्भ नक्शा के आधार पर वृहत स्तर पर इस इलके में खनिज संपदा मिलने की संभावना है। जिसको लेकर ही विस्तृत रूप से भूतात्विक अन्वेषण किया जा रहा है। यहां पर जिंक, सोना, क्रोमियम, निकेल, जैसी खनिज संपदा भूगर्भ में होने का अनुमान है। अभी ड्रिलिंग का काम हो रहा है। ड्रिलिंग के दौरान करीब 650 फीट तक ड्रिल कर सैंपल उठाये जाने की बात कही जा रही है।

बांका डीएम अंशुल कुमार ने कहा कि जयपुर के कुछ इलाके में जियोलॉजिकल सर्वे का काम चल रहा है। सर्वे का काम पूरा होते ही स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। जिस जगह पर टीम ड्रिल कर रही है। उस स्थान से महज 110 मीटर की दूरी ब्रिटिश शासनकाल में भी खुदाई की गई थी। हालांकि उस वक्त सफलता किसी कारण से हाथ नहीं लग सकी थी। कटोरिया क्षेत्र के कई इलाकों में खनिज संपदा का भंडार होने के अनुमान पर भारत सरकार की जियोलॉजिकल सर्वे कर रही है। इसके तहत ही अलग-अलग जगहों पर ड्रिलकर खनिज संपदा की खोज की जा रही है। इसके तहत ही बाघमारी के पास भी चार युनिट तक ड्रिलिंग किए जाने की बात सामने आ रही है। जयपुर के चंदेपट्टी के पास एक युनिट ही ड्रिल का काम हो रहा है। इसके अलावा अन्य जगहों पर भी खोज की जाएगी।

(साभार : दैनिक भास्कर, 17.05.2023)

उद्योग मंत्री बाले - हमारा मखाना पूरी दुनिया में बिकेगा, वॉलमार्ट से करार

सीएम उद्यमी योजना के 1300 लाभुकों को दिए गए रूपये 52 करोड़

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 1300 लाभुकों को प्रथम किस्त में 4-4 लाख रूपए की दर से 52 करोड़ की राशि दिनांक 16.5.2023 को आयोजित कार्यशाला में दी गई। उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने बताया इस योजना से 29828 लाभुकों को दो हजार करोड़ से अधिक की राशि दी जा चुकी है। हम बैंकों के माध्यम से भी उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। यह ऋण उद्योग रूपी पौधा लगाने के लिए दिया गया है जिसे हमें अपनी मेहनत से सींचना है और बड़ा करना है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का हर लाभुक अगले 4-5 सालों में उद्योग विभाग का ब्रांड एम्बेसेडर बनेगा।

छोटा उद्यम स्थापित कर आप 5-10 लोगों को रोजगार देगें। बाद में

आपका उद्योग बड़ा हो जाएगा तो सैकड़ों और हजारों लोगों को रोजगार देगें। हाल ही में एक मखाना उद्योग का मैनें उद्घाटन किया और कुछ महिनों मे ही उसका एग्रीमेन्ट वॉलमार्ट से हो गया। इस तरह बिहार का मखाना अब पूरी दुनिया में बिकेगा। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में उद्यमिता को बढ़ाने के लिए इस योजना को बनाने में दूर दृष्टि का परिचय दिया है। अपर मुख्य सचिव संदीप पौण्डरीक ने कहा कि किसी भी उद्योग की सफलता के लिए 10 हजार घंटे के फार्मूले पर काम करें तो सफलता मिलेगी।

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की सफलताओं की जानकारी दी : कार्यक्रम में उद्योग निदेशक पंकज दीक्षित ने सभी उद्यमियों को विस्तार से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की विशेषताओं और सफलताओं की जानकारी दी। कार्यशाला में तकनीकि विकास निदेशालय के निदेशक संजीव कुमार, हास्तकरघा एवं रेशम निदेशालय के निदेशक विवेक रंजन मैत्रेय और उद्योग विभाग के विशेष सचिव दिलीप कुमार, आलोक कुमार मौजूद थे।

(साभार : दैनिक भास्कर, 17.05.2023)

भूजल निकासी को नियंत्रित करेगा भूगर्भ जल प्राधिकरण

राज्य में भूजल के प्रबंधन और इसके निकासी को नियंत्रित करने के उद्देश्य से बिहार भूगर्भ जल प्राधिकरण का गठन किया गया। इस प्राधिकरण के कार्यान्वयन एवं संचालन से संबधित विषयों पर 17.5.2023 को जल भवन, लघु जल संसाधन विभाग, पटना में एक दिवसीय कार्यशाला हुई। कार्यशाला में प्राधिकरण को शीघ्र क्रियाशील बनाने, इसके अधिकार क्षेत्र, कार्यक्षेत्र, संचालन एवं अन्य वैधानिक एवं तकनीकि पहलूओं से विस्तार से विचार-विर्मश हुआ। पशिक्षण कार्य केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण के दो वरीय पदाधिकारियों द्वारा दिया गया। जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित दिशा-निर्देश के विभिन्न आयमों पर विस्तृत रूप से जानकारी दी गयी। वर्त्तमान में केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र वेब पोर्टल के माध्यम से निर्गत किया जा रहा है। बिहार भूगर्भ जल प्राधिकरण द्वारा भी पोर्टल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाना है।

कार्यशाला में अपर सचिव, लघु जल संसाधन विभाग सभी मुख्य अभिंयता, लघु जल संसाधन विभाग, केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण के डॉ भूषण आर लामशोगे, अशोक कुमार पात्रे, आलोक कुमार सिन्हा, बिहार भू-गर्भ प्राधिकरण के सभी सदस्य आदि उपस्थित थे। **(साभार : हिन्दुस्तान, 18.05.2023)**

निर्णय सात लाख तक के खर्च पर टीसीएस से राहत

सरकार ने कहा कि डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए विदेश में एक वित्त वर्ष में सात लाख रुपये तक के खर्च पर स्त्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) नहीं कटेगा। इससे ऊपर खर्च सीमा जाने पर 20% कर के दायरे में आ जाऐंगे।

यह स्पष्टीकरण उस फैसले के बाद आया है, जिसमें सरकार ने क्रेडिट कार्ड से विदेशों में किए गए खर्च को आरबीआई की उदारीकृत धनप्रेषण योजना (एलआरएस) में डाल दिया है। इसके असर के तौर पर अगर कोई भी अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड से विदेश में भुगतान करता है तो उस पर 20 फीसदी का टीसीएस लगेगा। अभी तक यह पाँच फीसदी है। इस फैसले पर विशेषज्ञों और संबधित पक्षों ने तीखी प्रतिक्रिया जताई थी। इसके बाद सरकार को स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य एलआरएस और टीसीएस के संबंध में प्रक्रिया संबंधी अस्पष्टता को दूर करना है। इस साल के बजट में विदेशी टूर पैकेज एवं एलआरएस के तहत विदेश भेजे गए पैसे पर टीसीएस को पाँच प्रतिशत से बढ़ाकर 20% करने का प्रस्ताव रखा गया था। नई कर दर एक जुलाई से प्रभावी होगी।

अभी इतना लगता है विदेश में खर्च पर कर : चिकित्सा इलाज और शिक्षा पर सात लाख रुपये से अधिक के विदेशी खर्च पर पाँच प्रतिशत टीसीएस लगाया जाएगा। विदेश में शिक्षा के लिए कर्ज लेने वालों पर सात लाख रुपये की सीमा से अधिक पर कम दर यानी 0.5 प्रतिशत का टीसीएस ही लगेगा। किसी देश से कोई सॉफ्टवेयर खरीदने या उसका सब्सक्रिप्शन लेने पर 20 फीसदी की दर से टीसीएस लगेगा।

BIADA के PCC की बैठक में चैम्बर के कार्यकारिणी सदस्य सम्मिलित हुए

BIADA के PCC बैठक में उपस्थित चैम्बर के कार्यकारिणी सदस्य श्री आशीष शंकर (दाँयी ओर से प्रथम)

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) के परियोजना समाशोधन समिति (PCC) की बैठक दिनांक 30 मई, 2023 को श्री संदीप पौंड्रिक, भा. प्र. से. अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, बिहार सरकार की अध्यक्षता में विभागीय सभाकक्ष में आयोजित हुई। इस बैठक में चैम्बर के कार्यकारिणी सदस्य श्री आशीष शंकर सम्मिलित हुए।

इसलिए हुआ बदलाव : एलआरएस के तहत डेबिट कार्ड से किए गए भुगतान पहले ही शामिल थे लेकिन क्रेडिट कार्ड से विदेश में किए गए खर्च इस सीमा में नहीं आते थे। इसकी वजह से कई लोग एलआरएस सीमा को पार कर जाते थे। विदेश पैसे भेजने की सुविधा देने वाली कंपनियों से मिले आंकड़ों से पता चला कि 2.50 लाख डॉलर की मौजूदा एलआरएस सीमा से अधिक खर्च की अनुमति वाले अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड जारी किए जा रहे हैं।

(साभार : हिन्दुस्तान, 20.5.2023)

दुकान के बाहर जीएसटी नंबर का प्रदर्शन जरूरी

जीएसटी नेटवर्क पोर्टल पर पंजीकृत कारोबारियों के लिए दुकान, औद्योगिक इकाई या फिर अपने कार्यालय के बाहर बोर्ड पर जीएसटी नंबर प्रदर्शित करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर कारोबारी से 50, 000 रुपये तक का जुर्माना वसूला जा सकता है। 16 मई से केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) की तरफ से जीएसटी सत्यापन के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत सीबीआइसी के अधिकारी सभी कारोबारियों से जीएसटी नंबर प्रदर्शित करने के नियम को सख्ती से लागू करने की हिदायत दे रहे हैं। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 19.5.2023)**

निर्देश हवाई किराया नहीं बढाएं विमान कंपनियाँ

केन्द्र ने विमानन कंपनियों से हवाई टिकटों के दाम में बढ़ोतरी न करने के लिए कहा है। गो फर्स्ट द्वारा उड़ानों के निलंबन के बाद कुछ मार्गों पर किरायों में वृद्धि के बीच सरकार ने ये निर्देश दिए। आखिरी समय में बेची गई टिकटों के किराये में बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए।

हवाई टिकटों के दाम में संतुलन जरूरी : सरकार ने विमानन कंपनियों से किराया बढ़ाते वक्त संयम बरतने और हवाई टिकटों के दामों में संतुलन बनाने को कहा है। हवाई यात्रा महँगी होने के बीच यह बात कही गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एयरलाइनों को टिकटों की कीमत तय करते वक्त संयम बरतने और संतुलन बनाए रखने के लिए कहा गया है। अधिकारी ने कहा कि ऐसी स्थिति नहीं हो सकती है कि सबसे अधिक और सबसे कम किराए के बीच भारी अंतर हो और यात्रियों को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। गौरतलब है कि नकदी संकट से जूझ रही गो फर्स्ट ने तीन मई से उड़ान बंद कर दी थी, जिसके बाद कुछ मार्गों पर हवाई किराए में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 20.5.2023)**

ई-इनवॉइस

व्यवसाय सरल बनाने की दिशा में एक और कदम

दिनांक 1 अगस्त, 2023 से माल और सेवाओं, या दोनों अथवा निर्यातों को B2B आपूर्ति करने वाले ऐसे करदाताओं *द्वारा ई-इनवॉइस जारी किया जाना अनिवार्य होगा जिनका सकल वार्षिक टर्नओवर पिछले किसी वित्तीय वर्ष में रु. 5 करोड[#] से अधिक है

ई-इनवॉइस पर इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल द्वारा दिया गया विशिष्ट इनवॉइस रेफरेंस नंबर होता है

ई-इनवॉइस के लाभ

• एक समान प्रारुप • जीएसटी पोर्टल को स्वत: रिपोर्टिंग • ई-वे बिल का स्वत: जनरेशन • अनुपालन का कम भार • प्रतिलेखन (Transcriptional) त्रुटियों में कभी • इनवॉइस का निर्बाध हस्तांतरण • स्वत: पॉपुलेटेड जीएसटी रिटर्न • कम कागजी कार्रवाई

अधिक जानकारी के लिए मूल अधिसूचना संख्या 13/2020 केन्द्रीय कर दिनांक 21.03.2020 के साथ पठित अधिसूचना संख्या-10/2023 केन्द्रीय कर दिनांक 10.05.2023 को देखें।

[#]वर्तमान में यह सीमा रू. 10 करोड़ है।

*छूट प्राप्त श्रेणियों के करदाताओं का विवरण जानने के लिए कृपया स्कैन करें।

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

(साभार : हिन्दुस्तान, 18.5.2023)

बिहार सरकार

वाणिज्य कर विभाग

सभी जीएसटी करदाता कृपया ध्यान दें

यदि जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करने के कारण आपके विरूद्ध 28 फरवरी, 2023 तक कोई कर निर्धारण आदेश पारित किया गया है।

तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर

ऐसा कर निर्धारण आदेश स्वत: निरस्त हो जाएगा, **यदि आप 30 जून, 2023 तक** देय ब्याज एवं लेट फी के भुगतान के साथ वह रिटर्न दाखिल कर देते हैं।

विस्तृत जानकारी हेतु संबंधित अंचल कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव

(साभार : दैनिक जागरण, 18.5.2023)

चूक करने वाले निर्यातकों के लिए माफी योजना शुरू

ईपीसीजी योजना के तहत निर्यात दायित्व पूरे न करने वालों को मिलेगा इसका लाभ

वित्त मंत्रालय ने उन्नत एवं पूंजीगत उत्पादों के निर्यात प्रोत्साहन (ईपीसीजी) की प्राधिकार योजना के तहत अपने निर्यात दायित्वों को पूरा नहीं कर पाने वाले कारोबारियों के लिए माफी योजना को लागू कर दिया है।

माफी योजना में आयात-निर्यात से जुड़े कारोबारियों को 100 प्रतिशत तक सीमा शुल्क एवं ब्याज चुकाकर खुद को पाक-साफ करने का मौका दिया जाएगा। यह सुविधा उन कारोबारियों के लिए ही है जो उन्नत एवं ईपीसीजी प्राधिकार योजना के अनुरूप अपने निर्यात दायित्वों पर खरा उतरने में नाकाम रहे हैं। गत 31 मार्च को घोषित विदेश व्यापार नीति में माफी योजना लाने का जिक्र किया गया था। अब इसे लागू कर दिया गया है। केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने जारी एक परिपत्र में कहा। "इस योजना के तहत मामलों की निगरानी करने के अलावा उनपर नजर रखी जाएगी ताकि वास्तविक चूक के पुराने मामलों का कारगर एवं त्वरित निपटारा हो।"

सीबीआईसी ने प्रमुख आयुक्तों एवं कर आयुक्तों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि पुराना शुल्क देने के लिए संपर्क करने वाले निर्यातकों का विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के पास पंजीकरण जरूर हो।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए 30 सितम्बर, 2023 तक लंबित शुल्क का भुगतान करना होगा। केपीएमजी के राष्ट्रीय प्रमुख (अप्रत्यक्ष कर) अभिषेक जैन ने कहा कि यह परिपत्र पुराने शुल्क मामलों का निपटारा क्षेत्रीय अधिकारियों के स्तर पर करने की सरकार की मंशा को दर्शाता है। इससे मामलों का जल्द निपटारा करने में भी मदद मिलेगी।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 19.5.2023)

बिहार सरकार

वाणिज्य कर विभाग

जीएसटी के कम्पोजीशन करदाता कृपया ध्यान दें

यदि आपने जुलाई, 2017 से मार्च, 2019 तक की त्रैमासिक विवरणी (GSTR-4) दाखिल नहीं किया है, अथवा यदि आपने वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 की वार्षिक विवरणी (GSTR-4) दाखिल नहीं की है, **तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर**

क. यदि ऐसे रिटर्न के अनुसार आपके द्वारा कोई कर भुगतेय नहीं है तो प्रत्येक ऐसी विवरणी में विलंब के लिए दी जाने वाली लेट फी की समस्त राशि माफ हो जाएगी, यदि यह रिटर्न आप 30 जून, 2023 तक दाखिल कर देते हैं; तथा

ख. यदि ऐसे रिटर्न के अनुसार आपके द्वारा कोई कर भुगतेय है तो प्रत्येक ऐसी विवरणी में विलंब के लिए दी जानेवाली लेट फी की अधिकतम राशि रु. 500 ही होगी एवं किसी भी ऐसी विवरणी के लिए इससे अधिक लेट फी की राशि माफ हो जाएगी, यदि यह रिटर्न आप 30 जून, 2023 तक दाखिल कर देते हैं।

विस्तृत जानकारी हेतु संबंधित अंचल कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव

(साभार : दैनिक जागरण, 19.5.2023)

बिहार सरकार

वाणिज्य कर विभाग

जीएसटी के रद्द निबंधन को पुन: चालू कराने का सुनहरा अवसर

क. ऐसे जीएसटी करदाता जिनका निबंधन विवरणी दाखिल करने में विफलता के कारण 31 दिसम्बर, 2022 तक रद्द हो चुका है, परन्तु जिसे चालू कराने के लिए जिन्होंने ससमय आवेदन नहीं दाखिल किया है, अथवा

ख. ऐसे जीएसटी करदाता जिनके द्वारा विवरणी दाखिल करने में विफलता के कारण निबंधन रद्दगी आदेश के विरूद्ध दाखिल अपील निरस्त हो गयी हो, अथवा

ग. ऐसे जीएसटी करदाता जिनके द्वारा विवरणी दाखिल करने में विफलता के कारण रद्द निबंधन को चालू करने के लिए दिये गये आवेदन की रद्दगी के विरुद्ध दायर अपील इस कारण निरस्त हो गया हो कि चालू करने का आवेदन ससमय दाखिल नहीं था, के

लिए रद्द निबंधन पुन: चालू करने का सुनहरा अवसर

ऐसे निबंधन को फिर से चालू करने के लिए आपके द्वारा आवेदन दिया जा सकता है, यदि-

क. ऐसा आवेदन दाखिल करने के पूर्व निबंधन रद्दगी आदेश की प्रभावी तिथि तक आपके द्वारा दाखिल की जानेवाली सभी विवरणियाँ उनके अनुसार देय कर, ब्याज, शास्ति तथा लेट फी के भुगतान के साथ दाखिल कर दी जाती है, एवं

ख. यह आवेदन 30 जून, 2023 तक दाखिल कर दिया जाता है।

विस्तृत जानकारी हेतु संबंधित अंचल कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव

(साभार : हिन्दुस्तान, 20.5.2023)

न्यू बाइपास का बनेगा विकल्प

पटना रिंग रोड का 94.36 किमी हिस्सा वर्ष 2026 में चालू होगा। यह पटना के न्यू बाइपास का विकल्प बनेगा। तीन जिलों से गुजरने वाले इस सिक्स लेन रोड

की कुल लंबाई 138.76 किमी है। इसका लाभ पटना, सारण और वैशाली जिले के लोगों को मिलेगा। रिंग रोड के निर्माण के लिए राज्य सरकार जमीन दे रही है। निर्माण कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा किया जा रहा है। एनएचएआई के परियोजना निदेशक अमित रंजन चित्रांशी ने कहा कि शेरपुर और दिघवारा के बीच 14.52 किमी सड़क सह गंगा पुल का निर्माण कार्य जून-जुलाई से शुरू होगा। 3000 करोड़ की लागत से होने वाले निर्माण कार्य के लिए एजेंसी का चयन कर एग्रीमेंट करने का काम पूरा हो गया है। पटना और सारण जिला प्रशासन से शेरपुर और दिघवारा के मुहाने पर बने घरों का मूल्यांकन कर मुआवजा देने का अनुरोध किया गया है। इसके साथ निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।

प्रोजेक्ट की स्थिति : • कन्हौली से रामनगर तक पटना रिंग रोड का हिस्सा बिहटा-सरमेरा रोड है। वर्तमान में यह रोड फोरलेन है। इसकी चौड़ाई दो लेन बढ़ाकर सिक्स लेन करने का काम चल रहा है • अगले महीने से शेरपुर से दिघवारा के बीच सड़क सह गंगा ब्रिज बनेगा। इसे ढाई साल में पूरा करना है। इसकी लंबाई 14.52 किमी है • कच्ची दरगाह से कल्याणपुर के बीच 19.6 किमी लंबे सड़क सह गंगा ब्रिज का निर्माण कार्य जारी है। निर्माण कार्य बीएसआरडीसी कर रही है • कन्हौली से शेरपुर के बीच 8.48 किमी और रामनगर से कच्ची दरगाह के बीच 12.6 किमी हाइवे निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण का कार्य चल रहा है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा • दिघवारा से कल्याणपुर का सिक्स लेन हाइवे का निर्माण कार्य सारण और वैशाली जिले में होना है। 44.4 किमी लंबे रिंग रोड के लिए जमीन अधिग्रहण का कार्य चल रहा है।

सिक्स लेन पटना रिंग रोड का रूट : • **पटना जिला :** शेरपुर से कच्ची दरगाह-60.24 किमी • **सारण और वैशाली :** दिघवारा से कल्याणपुर - 44.4 किमी • शेरपुर से दिघवारा सड़क सह गंगा ब्रिज-14.52 किमी (पटना-सारण) • कच्ची दरगाह-कल्याणपुर सड़क सह ब्रिज-19.6 किमी (पटना-वैशाली)

(साभार : दैनिक भास्कर, 14.5.2023)

चालान कटने के 90 दिनों में जुर्माना नहीं भरा, तो गाड़ी होगी ब्लैक लिस्टेड

राज्य में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर कटने वाले चालान को यदि 90 दिनों के भीतर पैसा नहीं जमा कराया गया, तो संबंधित गाड़ी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जायेगा। इसके बाद संबंधित गाड़ी का फिटनेस, प्रदूषण, ऑनरशिप ट्रांसफर आदि वाहन मालिक नहीं करा पायेंगे। परिवहन विभाग ने यह आदेश जारी किया है। जल्द ही बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी, मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी व भागलपुर स्मार्ट सिटी में भी कमांड एण्ड कंट्रोल सेंटर से इ-चालान शुरू करने की योजना है। स्मार्ट सिटी के तहत पटना में 30 एएनपीआर कैमरा लगाये गये है, जिनसे इ-चालान कटने लगा है। विभाग के मुताबिक इस माह तक 29 स्पॉट पर 150 कैमरा लगाने की प्रक्रिया शुरू होगी। नयी व्यवस्था के बाद लोगों को यातायात नियमों को तोड़ने के बाद जब उनके मोबाइल पर मैसेज आता है, तो वाहन मालिक की मालूम होता है कि चालान कटा है। ई-चालान काटे जाने की निगरानी के लिए कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया गया है। इससे 20 मार्च से लेकर अब तक 487 इ-चालान काटा गया है।

पटना में यहाँ लगेंगे एएनपीआर कैमरे : चिरैयाटाड़ चौधरी पेट्रोल पंप, आरएन सिंह मोड़, राजा पुल, भूतनाथ रोड, दिनकर मोड़, गाय घाट, पहाड़ी, दीदारगंज मोड़, जीरो माइल, 90 फीट सड़क दशरथा मोड, एम्स गोलबर, खगौल मोड़, पटेल भवन, आइपीएस मेस मोड़, आरा गोलबर, जेपी सेतु शिवाला मोड़, रूपसपुर पुल, कदमकुआ, एनआइटी मोड़, अटल पथ पर आर ब्लाक के पास दीदारगंज चेकपोस्ट, अटलपथ पर सचिवालय मोड़ के पास दीघा-सोनपुर पुल के पास, आयुक्त कार्यालय, अटलपथ गोलबर आदि एलसीटी घाट।

(साभार : प्रभात खबर, 19.5.2023)

रेलवे स्टेशनों व एयरपोर्ट से आईएसबीटी के लिए 9 बसें

दानापुर स्टेशन, पाटलिपुत्र जंक्शन, पटना जंक्शन और एयरपोर्ट से बैरिया स्थित अंतरराज्यीय बस टर्मिनल के लिए 15 बसों का ट्रायल किया गया था। लेकिन, यात्री नहीं मिलने के कारण 9 बसों के ही परिचालन की अनुमति मिली है। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर बसों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। न्यूनतम 6 रुपए किराया निर्धारित किया गया है। बस टर्मिनल के लिए दानापुर और एम्स से 37 रुपए, एयरपोर्ट से 25 रुपए और गाँधी मैदान से 15 रुपए किराया लगेगा।

किन मार्गों से कितनी बसें : • दानापुर रेलवे स्टेशन से सगुना मोड़, गोला रोड, पाटलिपुत्र स्टेशन मोड़, जगदेवपथ, आशियाना नगर, सचिवालय, इनकम टैक्स गोलंबर, पटना जंक्शन, राजेन्द्रनगर टर्मिनल, एनएमसीएच, धनुकी मोड़, जीरोमाइल **: 2 बस** • दानापुर से फुलवारीशरीफ चौक, अनीसाबाद, चितकोहरा, गर्दनीबाग, सचिवालय, आर ब्लॉक चौराहा, पटना जंक्शन, कंकड़बाग, राजेन्द्र नगर टर्मिनल, भूतनाथ रोड, एनएमसीएच, धनुकी मोड़ **: 2 बस** • पटना एयरपोर्ट से शेखपुरा मोड़, चिड़ियाखाना, हड़ताली मोड़ बिहार म्यूजियम, इनकम टैक्स गोलंबर, पटना जंक्शन, कंकड़बाग, राजेन्द्रनगर टर्मिनल, भूतनाथ रोड, एनएमसीएच, धनुकी मोड़, जीरोमाइल**: 1 बस** • गाँधी मैदान से मगध महिला, बिस्कोमान टावर, दूरदर्शन केन्द्र, डाकबंगला चौराहा, पटना जंक्शन, कंकड़बाग, राजेन्द्र नगर टर्मिनल, भूतनाथ रोड, एनएमसीएच, धनुकी मोड़, जीरोमाइल **: 4 बस।**

22 अगस्त तक चालू होंगे टर्मिनल नंबर - 3 व 4 : पाटलिपुत्र बस टर्मिनल के टर्मिनल तीन और चार 22 अगस्त तक चालू हो जाएंगे। प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि ने एजेंसी को निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि यहाँ से प्रतिदिन करीब 800 बसों का आवागमन होता है। इसलिए पर्याप्त संख्या में शौचालय और पेयजल की सुविधा रहनी चाहिए। उन्होंने तीन स्थानों पर यात्री शेड बनाने, प्रत्येक यात्री शेड में शौचालय, पेयजल व स्नानागार, टिकट काउंटर, रिटेल दुकान, डॉर्मिटरी, कैंटीन, बैंक, कार्यालय और ओला उबेर के लिए पार्किंग चिह्नित करने का भी निर्देश दिया।

(साभार : दैनिक भास्कर, 18.5.2023)

मालवाहक ऑटो को सीएनजी में बदलने पर 40 हजार अनुदान

• 25 हजार अनुदान मिलेगा डीजल-पेट्रोल से चलने वाले तिपहिया मालवाहक को बैट्री चालित बनाने पर • गया-मुजफ्फरपुर में 30 सितम्बर से डीजल से चलने वाले तिपहिया वाहनों पर रोक लगेगी

डीजल या पेट्रोल से चलने वाले तिपहिया मालवाहक वाहन को नए सीएनजी मालवाहक वाहन में प्रतिस्थापन पर 40 हजार का एकमुश्त अनुदान मिलेगा। वहीं, डीजल-पेट्रोल से चलने वाले तिपहिया मालवाहक वाहन को नए बैट्री चालित मालवाहन वाहन में बदलने पर 25 हजार का अनुदान मिलेगा। पेट्रोल चालित तिपहिया मालवाहन वाहन में सीएनजी किट लगाने पर एकमुश्त 20 हजार अनुदान दिया जाएगा।

इसको लेकर परिवहान विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। गया और मुजफ्फरपुर नगर निगम में 30 सितम्बर, 2023 की मध्य रात्रि से सभी प्रकार के डीजल चालित तिपहिया वाहनों के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंधित किया जाएगा।

विभाग ने यह भी कहा है कि पटना नगर निगम तथा दानापुर, फुलवारीशरीफ और खगौल नगर परिषद में 31 मार्च, 2022 से डीजल चालित तिपहिया वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध है। अब इन चारों क्षेत्रों में डीजल चालित तिपहिया मालवाहक की भी प्रतिबंधित किया चाएगा।

(साभार : हिन्दुस्तान, 18.5.2023)

पटना जंक्शन समेत कई स्टेशनों पर बिकेगी नालंदा की बावनबूटी साड़ी

• बसवनबिगहा के बुनकरों से मिले दानापुर मंडल के डीआरएम • हस्त करघा उद्योग को बढ़ावा देने का दिया आश्वासन, खुलेंगे स्टॉल

नालंदा के बुनकरों के दिन बहुरने वाले हैं। हस्तकरघा पर तैयार बावनबूटी साड़ी व हैण्डलूम के वस्त्र पटना जंक्शन समेत कई स्टोशनों पर बिकेंगे। इसके लिए स्टेशनों पर स्थायी स्टॉल लगाये जाएँगे। ताकि, हस्तकरघा उद्योग को बढ़ावा मिले।

यह आश्वासन दानापुर मंडल के डीआरएम प्रभात कुमार ने दिया है। वे बिहारशरीफ के बसवनबिगहा में हस्तकरघा उद्योग का निरीक्षण करने आये थे। हाल ही पद्मश्री सम्मान से सम्मानित होने वाले वहाँ के बुनकर कपिलदेव प्रसाद से मिले तथा हर संभव मदद का आश्वासन दिया। कपिलदेव प्रसाद ने बताया कि

रेल मंडल प्रबंधक ने कहा है कि वन शॉप-वन प्रोडक्ट के तहत जल्द ही पटना जंक्शन पर स्थायी स्टॉल मुहैया करा दिया जाएगा। अन्य स्टेशनों पर भी किया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बुनकरों द्वारा तैयार कुछ प्रोडक्ट रेलवे भी खरीदेगा।

साड़ी की खासियत : बावनबूटी साड़ी हस्तकरघा पर तैयार की जाती है। इसकी कई वेरायटी हैं। खासियत यह कि साड़ी के निर्माण में किसी खास चिह्न का इस्तेमाल (बूटी) 52 जगहों पर की जाती हैं। साड़ी की कीमत 2000 से 20 हजार तक होती है। खास यह भी कि इसकी मांग न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी काफी है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 18.5.2023)**

आरबीआई ने कहा – जून से बैंक वारिसों को खोजकर लौटाएंगे बिना दावे वाली रकम

रिजर्व बैंक ने बैंकों में पड़े बिना दावे वाले डिपॉजिट्स के वारिसों को खोजने के लिए एक जून से 100 दिन का विशेष अभियान चलाने का ऐलान किया है। इस दौरान बैंकों के '100 डेज 100 पेज' अभियान के तहत देश के हर जिले में बैंक के टॉप-100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के सही मालिक या दावेदार का पता लगाकर उन्हें पैसे लौटाए जाऐंगे। आरबीआई ने एक बयान जारी करके कहा कि इस अभियान का उद्देश्य बैंकों में बिना दावे के जमा पड़ी राशि कम करना है। बैंक खातों में 10 साल तक निष्क्रिय पड़ी राशि को बिना दावे वाली जमा राशि कहा जाता है। इसके बाद बैंकों को ये राशि रिजर्व बैंक के डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड (डीईएएफ) में ट्रांसफर करनी होती है।

हाल में वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया था कि फरवरी 2023 तक सरकारी बैंकों के 10.24 करोड़ खातों में 35,012 करोड़ रूपए की जमा राशि ऐसी थी, जिन्हें पिछले 10 साल से ऑपरेट नहीं किया गया है। इस राशि को बैंकों ने रिजर्व बैंक के पास ट्रांसफर कर दिया है। मार्च 2022 तक 48262 करोड़ रूपए बैंकों में अनक्लेम्ड डिपॉजिट के तौर पर जमा थी। **(साभार : दैनिक भास्कर, 13.5.2023)**

अगस्त से जरूरी होगा ई चालान

पांच करोड़ रूपए से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों को आगामी पहली अगस्त से बी2बी लेनदेन के लिए इलेक्ट्रानिक या ई-इन्वॉयस (चलान) निकालना होगा। अभी तक 10 करोड़ रूपए या अधिक के कारोबार वाली इकाइयों को बी2बी लेनदेन के लिए ई-चालन निकालना होता है। वित्त मांत्रलय के अनुसार, बी2बी लेनदेन के लिए ई-चालान निकालने की सीमा को 10 करोड़ रूपए से घटाकर पांच करोड़ रूपए कर दिया गया है। यह व्यवस्था एक अगस्त से लागू होगी। इस घोषणा के साथ ई-चालान के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) का दायरा बढ़ जाएगा और उन्हें ई-चालान लागू करने की आवश्यकता होगी।

एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने कहा कि ई-चालान के चरणबद्ध क्रियान्वयन से अड़चने कम हुई है, अनुपालन में सुधार हुआ है और राजस्व बढ़ा है। ई-चालान शुरू मे 500 करोड़ रूप्एसे अधिक के कारोबार वाली बड़ी कंपनियों के लिए लागू किया गया था और तीन साल के भीतर इस सीमा को घटाकर अब पांच करोड़ रूपये कर दिया गया है।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 12.5.2023)

बैंकों में रखी गिरवी जमीन की जानकारी गोपनीय नहीं रहेगी

बैंको में गिरवी रखी जमीन की जानकारी अब गोपनीय नहीं रखी जा सकेगी। यही नहीं, आम रैयतों से उसे छुपाया भी नहीं जा सकेगा। राज्य सरकार ने पुरानी व्यवस्था में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब किसी जमीन को बैंकों में गिरवी रखने के बाद उसकी जानकारी जमाबंदी पंजी में स्पष्ट दिखेगी। नई व्यवस्था लागू भी कर दी गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग काफी समय से इस तकनीक को लागू करने पर काम कर रहा था।

दरअसल, बैंकों में जमीन गिरवी रखने के बाद उसे व्यक्ति को बेचने या फिर उसी जमीन पर दूसरा लोन लेने जैसे मामले सामने आ रहे थे । इससे बड़े पैमाने पर विवाद हो रहे थे। जमीन लेने वाला व्यक्ति कर्ज से अनजान होता था। इससे उसके उपर अनचाही देनदारी आ जाती थी। यही नहीं, बैंक भी परेशान थे। इसलिए राज्य के सभी बैंक इस सुविधा की मांग कर रहे थे, ताकि वे जमीन के संबंध में अद्यतन स्थिति से अवगत हो सकें। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता ने कहा कि विभाग द्वारा राज्य के रैयतों को एक और नई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके तहत अब किसी रैयत द्वारा अगर किसी जमांबदी के प्लॉट को बैंक में बंधक बनाकर लोन लिया गया है तो ऐसी स्थिति में लोन से संबधित विवरण को जमाबंदी पंजी में देखा जा सकता है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा पूर्व में सभी बैंकों को एलपीसी के आधार पर जमा जमाबंदी पंजी में लोन से संबंधित विवरण दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध करायी गई थी। बैंक द्वारा संधारित की गई लोन से संबधित इन्हीं विवरणी को जमाबंदी के साथ दिखाया जा रहा है। ऐसा करने से लोग बंधक रखी गई जमीन की खरीद-बिक्री से बचेंगे। इससे भूमि विवाद में कमी आएगी।

(साभार : हिन्दुस्तान, 3.5.2023)

जीएसटी : ई-चालान अपलोड करने की अवधि बढ़ाई गई

• सौ करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करने वाली कंपनियों के लिए है यह व्यवस्था • पुराने ई-चालान करने होगें अपलोड • तीन माह के लिए बढ़ी है समय सीमा

• पहले एक मई से लागू की जानी थी, यह नई व्यवस्था • चालान अपलोड न किए जाने पर नहीं मिलता है इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ

जीएसटीएन ने 100 करोड़ रूपए से अधिक के करोबार वाली कंपनियों या व्यवसायों के लिए अपने पुराने ई-चालान को अपलोड करने की समय सीमा के क्रियान्वयन को तीन महीने के लिए टाल दिया है। पिछले महीने जीएसटीएन ने कहा था कि इन कंपनियों को अपने ई-चालान को सात दिन के अंदर चालान पंजीकरण पोर्टल (आईआरपी) पर डालना होगा। पहले यह व्यवस्था एक मई से लागू होने जा रही थी, लेकिन अब इसे तीन महीने के लिए टाल दिया गया है। मौजूदा व्यवस्था के तहत कंपनियां इस तरह के चालान को वर्तमान तिथि पर डालती है। इसमें आईआरपी पर चालान अपलोड करने के लिए व्यवसायों पर कोई प्रतिबंध नही था। जीएसटी कानून के अनुसार, यदि आईआरपी पर चालान अपलोड नही किए गए, तो कंपनियां इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ नहीं उठा सकती है। एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन कहा कि चालान कि तारीक से सात दिन के भीतर ई-चालान जारी करने की इस नई आवश्यकता से यहां तक कि बड़े व्यवसाय भी हैरान थे।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 8.5.2023)

सख्ती : जीएसटी विभाग अब बैंकिग लेन-देन पर भी पैनी नजर रखेगा

टैक्स चोरी रोकने के लिए माल एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग अब बैंकिग लेनदेन पर भी पैनी नजर डालने की तैयारी कर रहा है। इसको लेकर जीएसटी विभाग जल्द नए नियम लागू कर सकता है। हाल ही में जीएसटी विभाग ने जांच में खुलासा किया है कि फर्जी बिल के जरिए अनुचित टैक्स क्रेडिट हवाला लेनदेन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कई मामलों में पाया गया है कि बैंकिग लेनदेन के जरिए फर्जी बिल बनाने वाले व्यक्ति के पास आखिरी ट्रांजेक्शन में पैसा वापस आ रहा है। वहीं, शेल कंपनियां भी फर्जी बिलों के जरिए पैसों का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है।

रिपोर्ट के मुताबिक, इन मामलों में मनी ट्रेल महत्वपूर्ण है। जीएसटी पंजीकरण के दौरान करदाता सिर्फ एक बैंक खाते का विवरण देता है और एक व्यवसाय में कई खातों का उपयोग कर सकता है। मौजूदा समय में बैंकिग लेन-देन का डाटा भी प्राप्त करना मुश्किल है। सूत्रों ने बताया , जब विवरण दिया जाता है, तब तक फर्जी चालान बनाने वाली कंपनी या व्यक्ति पहले ही गायब हो

जाते है। ऐसे में जीएसटी अधिकारी अब बैंकिग लेनदेन का डाटा तेजी से पाना चाहते हैं।

कर चोरी रोकने की तैयारी : रिपोर्ट में कहा गया है कि फर्जी बिलों को रोकने के लिए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुक्ल बोर्ड द्वारा भी मुद्दा उठाया जा चुका है ताकि टैक्स चोरी पर अंकुश लगाया जा सके।

(साभार : हिन्दुस्तान, 16.5.2023)

फॉर्म-1 और फॉर्म-4 की इ-फाइलिंग शुरू, 31 जुलाई से पहले कर दें फाइल

वर्ष 2023-24 के लिए आयकर विभाग की ओर से फॉर्म-1 (सहज) व फॉर्म-4 (सुगम) की इ-फाइलिंग शुरू हो गयी है, फॉर्म-1 वेतनभोगियों की ओर से भरा जाता है, जबिक फॉर्म-4 कारोबारी व पेशेवर लोग फाइल करते हैं, ये व्यापारी व पेशेवर लोग आयकर की धारा 44 एडी, 44 एडीए, 44 एइ के तहत बतायी गयी अनुमानित दर से रिटर्न फाइल करते हैं। फिलहाल फार्म-1 व फॉर्म-4 रिटर्न जेसन स्कीमा से फाइल किये जा रहे हैं। आने वाले दिनों में आयकर विभाग के पोर्टल पर सीधे फाइल किया जा सकेगा।

सीए राजेश खेतान ने बताया कि ऐसा लगता है कि इस बार तारीख बढ़ने के आसार कम है। इसलिए ऐसे करदाता, जिनके खातों का ऑडिट नहीं होता है या वेतनभोगी कर्मचारी 31 जुलाई तक अपना रिटर्न समय रहते अवश्य फाइल कर लें ।

कौन चुन सकता है फॉर्म-1 या 4 : • आय 50 लाख से अधिक न हो • उसकी कुल आय में वेतन स्रोत की आय, एक घर का रेंट से आय, अन्य स्त्रोत से आय जैसे ब्याज लाभांश आदि होता है • इसके अलावा कृषि आय पांच हजार रूपये तक हो • इनकम 50 लाख तक हो • फॉर्म 4 के लिए करदाता की इनकम व्यापार व पेशे के स्रोत से होना चाहिए • टैक्सपेयर्स अपना इनकम टैक्स का रिटर्न इनकम टैक्स की धारा 44 एडी, 44 एडी ए, 44 एइ के तहत फाइल हो • इनकम टैक्सपेयर्स फर्म हो सकता है लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप न हो।

(साभार : प्रभात खबर, 9.5.2023)

बदलाव : दान राशि पर कर छूट पाने के लिए प्रमाणपत्र देना होगा

टीडीएस जैसा साक्ष्य आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल से डाउनलोड करना पड़ेगा

यदि आप किसी धर्मार्थ संस्था या धार्मिक संस्थान और गैर सरकारी संगठनों को दान करते हैं तो आयकर अधिनियम 80 के तहत कर छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपको आयकर रिटर्न दाखिल करते समय संबंधित संस्थान से जारी हुए दान प्राप्ति का प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा। इसके बगैर कर छूट नहीं मिलेगी। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि संस्थाओं की श्रेणियों के अनुसार 50 से 100 फीसदी कर छूट प्राप्त की जा सकती है।

पुरानी कर व्यवस्था में ही लाभ : दान की राशि पर कर छूट का दावा सिर्फ पुरानी कर व्यवस्था के तहत किया जा सकता है। इसलिए आयकरदाताओं को वित्त वर्ष की शुरूआत में ही इस व्यवस्था का विकल्प चुनना होगा। गौरतलब है कि हाल में करीब 8000 लोगों को आयकर विभाग ने नोटिस दिया था क्योंकि उनके दान और आय में मेल नहीं था।

आयकर विभाग को ये ब्योरा देना होगा : फॉर्म 10 बीई को इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड या डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल किया जा सकता है। फॉर्म में दान कर्ता का नाम, पता, पैन नंबर और आधार संख्या का होना अनिवार्य है। साथ ही संबंधित संस्था का रजिस्ट्रेशन नंबर और स्टांप होना भी जरूरी है। फॉर्म को उस वित्तीय वर्ष के 31 मई को या उससे पहले दाखिल किया जाना चाहिए, जिस वर्ष में दान दिया हो।

छूट का दावा करने के लिए श्रेणिों में विभाजित : आयकर विभाग ने 100 या 50 फीसदी कर छूट का दावा करने के लिए ट्रस्ट, संस्थानों को श्रेणियों में विभाजित किया है। किसी धार्मिक संस्था या चैरिटेबल संस्था को दान करने पर 50 फीसदी की कर छूट प्राप्त की जा सकती है। वहीं, सामाजिक कार्यो या समाज कल्याण से जुड़ी सरकार द्वारा अधिसूचित सरकारी संस्था या धर्मार्थ संस्थान के लिए यह सीमा 100 फीसदी है।

जानकारी देनी पड़ेगी : आयकर नियमों के अनुसार, किसी भी धर्मार्थ या धार्मिक संस्था अथवा एनजीओ को पूरे वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त दान की जानकारी आयकर विभाग को देनी होती है। साथ ही दान देने वाले व्यक्ति को फॉर्म 10बीई प्रमाणपत्र जारी करना होता है। इससे विभाग सुनिश्चित करता है कि संस्था द्वारा प्राप्त दान और आयकर दाता द्वारा किया गया दावा टैक्स छूट से मेल खाते है या नहीं। इसलिए आईटीआर दाखिल करते समय कर छूट का सबूत जरूरी है।

नकद दान करने पर कटौती का लाभ नहीं : करदाता नकद, चेक या ऑनलाइन तरीके से दान की गई रकम के लिए कर छूट का दावा कर सकते है। हालांकि दो हजार रूपये से अधिक नगद दान पर छूट का दावा नहीं किया जा सकता है। सिर्फ चेक या ऑनलाइन भुगतान के लिए आयकर विभाग छूट की अनुमति देता है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 1.5.2023)

जीएसटी रिटर्न की मशीनी जांच शुरू की जाए : वित्त मंत्री

करदाता आधार बढ़ाने की कार्य योजना बनाने का निर्देश भी दिया

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड को अगले सप्ताह तक जीएसटी रिटर्न की ऑटोमेटेड यानी मशीनी जांच की व्यवस्था शुरू करने और प्रौद्योगिकी का उपयोग कर करदाता आधार बढ़ाने की कार्ययोजना बनाने का निर्देश भी दिया। वित्त मंत्री ने सीबीआईसी की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के दौरान ये निर्देश दिए। उन्होनें फर्जी बिलिंग और इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर गहन अभियान चलाने का भी आदेश दिया और कहा कि इस तरह के मामले में पुराने मामलों की तह तक जांच करने के लिए कहा ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस तरह के मामले होते कैसे हैं।

इस बैठक में राजस्व सचिव और सीबीआईसी के अध्यक्ष एवं सदस्य भी मौजूद थे। इस दौरान सीबीआईसी की वृहद पैमानों पर समीक्षा की गई जिसमें व्यापार सुगमता, करदाता सेवाओं, शिकायत निवारण, अनुशासनात्मक मामलों में अंतिम निस्तारण, इंफ्रा परियोजनाओं और सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स राष्ट्रीय संस्थान के पलासमुद्रम परिसर शामिल थे।

(साभार : हिन्दुस्तान, 1.5.2023)

भारत की अर्थव्यवस्था 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी

कच्चे तेल की उची कीमतों और बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद चालू वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था करीब 6.5% की दर से बढ़ेगी। नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी ने यह राज जताई है। विरमानी ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि अमेरिका और यूरोपीय बैंकिग संकट का भारत के वित्तीय क्षेत्र पर कोई प्रभाव पड़ेगा। उन्होने कहा, इसलिए पिछले साल में हुए सभी बदलावों के कारण मैनें 2023-24 के लिए अपने भारत के आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को आधा प्रतिशत कम कर दिया है। उन्होनें कहा के चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.5% की दर से बढ़ेगी। यह आधा प्रतिशत उपर या नीचे हो सकती है। विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक ने अनुमान लगाया है कि खपत में कमी और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के कारण चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.3 से 6.4% की दर से बढ़ेगी। आईएमएफ ने भारत के वृद्धि दर अनुमान को 6.1% से घटाकर 5.9% कर दिया है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 1.5.2023)

विवाह मंडप व पार्टी पर भी रहेगी सीजीएसटी की नजर

होटल, विवाह भवन में शाही खर्चे पर अब सेंट्रल गुड्स एडं सर्विसेज टैक्स (सीजीएसटी) की नजर होगी। इसकी निगरानी को लेकर कई तरह के प्रबंध किए जा रहे हैं। सीजीएसटी के पटना आयुक्तालय वन की ओर से बीते दिनों इस सिलसिले में बैठक भी हो चुका है। इसमें राजधानी के शादी- रिसेप्शन मंडल के रख-रखाव वाले, इवेंट मैनेजमेंट फर्म, शादी के हॉल, विवाह भवन, होटल और पर्यटन उद्योग से जुड़े व्यवसायिओं से फीडबैक भी लिगा गया।

इस बैठक में इन व्यवसायियों की परेशानियों की जानकारी लेने के

साथ-साथ व्यापारियों को सीजीएसटी के नियामों की जानकारी देकर उनके शंकाओं को भी दूर करने का प्रयास किया गया। सीजीएसटी पटना वन के मुख्यालय संयुक्त आयुक्त चंद्र नारायण मिश्रा व सहायक आयुक्त अभिषेक कुमार सिंह ने सभी व्यावसायियों को आवश्यक जानकारी दी। विवाह भवन, ज्वेलरी, होटल सहित सभी चीजों पर जीएसटी तय है।

किसमें कितना लगेगा जीएसटी	
कपडे व फुटवियर	05-12%
सोने के आभुषण	03%
विवाह भवन	18%
टेंट सज्जा	18%
लाइट-सजावट	18%
बैंड बाजा	18%
फोटो-विडियो	18%
शादी-कार्ड	18%
घोड़ा-बग्घी	18%
ब्यूटी पार्लर	18%
वाहन	05%

सरकार की ओर से विवाह या अन्य सभी पार्टी को लेकर होने वाली खर्च पर जीएसटी को तय किया गया है। भवन में शादी खर्च करने पर खर्च अगर डेढ़ लाख रूपये होती है तो इसमें जीएसटी लगभग 27 हजार रूपये खर्च होगी। टेंट में 50 हजार खर्च करने पर 9 हजार जीएसटी, कैटरिंग सर्विस में 2 लाख खर्च होने पर 36 हजार जीएसटी देने होगें। सोने के आभूषण की खरीदारी पर तीन प्रतिशत सीजीएसटी तय है। सीजीएसटी से आने वाली आय में आधी राशि केंद्र सरकार व राज्य सरकार को जाती है।

(साभार : दैनिक जागरण, 5.5.2023)

उद्यमी योजना में लाभुकों के स्थलों की होगी जांच

2018 से 2021 तक के 21 हजार लाभुकों की जांच की जाएगी

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 2018 से 2021 तक के सभी लाभार्थियों की की स्थल जांच होगी। इस दौरान राज्य में करीब 21 हजार लाभुकों को योजना से जोड़ा गया है। उद्योग विभाग ने यह निर्णय लिया है। सूत्रों ने बताया कि सभी जिला महाप्रबंधकों को एक प्रखंड में पांच औद्योगिक इकाइयों की जांच का निर्देश दिया गया है।

इनमें योजना के तहत कुल 10 लाख रूपये की आर्थिक सहायता में प्रथम किस्त की राशि चार लाख रूपये और दूसरे किस्त की राशि चार लाख कुल 8 लाख रूपये प्राप्त करने वाले लाभुक भी शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि योजना के तहत लाभप्रद इकाइयों के कार्यस्थल या शेड पर योजना से संबधित बोर्ड भी लगाया जाएगा। इससे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में आसपास के लोगों व युवाओं को भी नये उद्यम शुरू करने की प्रेरणा मिलेगी। योजना के लाभुक का नाम, पता, उद्यम के प्रकार इत्यादि की जानकारी बोर्ड पर अंकित की जाएगी। इससे राज्य सरकार के अधिकारियों को भी लाभुक के बारे में जानकारी हासिल करने में सुविधा होगी।

(साभार : हिन्दुस्तान, 17.5.2023)

निवेश के सर्वाधिक प्रस्ताव खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में

निवेशकों को बिहार में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र भा रहा है। राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद को हाल में निवेश के जो प्रस्ताव मिले हैं, उनमें सबसे अधिक संख्या खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए है। इस वर्ष फरवरी के आखिरी हफ्ते तक की जो रिपोर्ट है, उसके अनुसार 2294 प्रस्तावों को स्टेज-1 का क्लीयरेंस हासिल हुआ है। इनमें सबसे अधिक 961 प्रस्ताव अकेले खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के हैं। इसके तहत 10833.31 करोड़ रूपये का निवेश राज्य में संभावित है। रोचक यह कि बिहार में अभी जो 419 औद्योगिक इकाइयां कार्यरत हैं, उनमें भी सबसे अधिक 193 खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की ही है। इस आंकड़े में मुजफ्फरपुर के मोतीपुर स्थित मेगा फूड पार्क में हल्दी राम व कुछ अन्य कंपनियों की रूचि सम्मिलित नहीं है।

छोटे-छोटे निवेश के साथ अस्तित्व में आ रहीं इकाइयां : खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की इकाइयां छोटे-छोटे निवेश के साथ अस्तित्व में आ रही हैं। गयां के शेरघाटी में एक कंपनी ने 33.29 करोड़ रूपये के निजी निवेश से आलू के चिप्स, टकाटक व नमकीन की फैक्ट्री शुरू की है। इनकी वार्षिक क्षमता 3000 मीट्रिक टन है। किशनगंज में 68.48 करोड़ रूपये की लागत से 180 टीपीडी क्षमता का मक्का क्रसिंग स्टार्च प्लांट लगाया गया है।

कोल्ड स्टोरेज भी शुरू किए गए : उद्योग विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 94.70 करोड़ रूपये की लागत से मुजफ्फरपुर में एक पाल्ट्री फूड इकाई की स्थापना की गई है। वहीं समस्तीपुर में 14.47 करोड़ रूपये के निजी निवेश पर एक कोल्ड स्टोरेज को स्थापित किया गया है।

जमुई में राइस मिल की भी हो रही स्थापना : राइस मिल की स्थापना भी खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का हिस्सा है। जमुई के चकाई प्रखंड स्थित बिशनपुर गांव में 38.89 करोड़ रूपये की लागत से एक राइस मिल लगाई गई है, जिसकी क्षमता 480 टीपीडी है। इसी तरह 13.87 करोड़ रूपये की लागत से ही जमुई जिले में एक अन्य राइस मिल की स्थापना की गई है। पटना के बिटहा में 11.71 करोड़ रूपये के निजी निवेश से एक राइस मिल को शुरू किया गया है।

(साभार : दैनिक जागरण, 15.5.2023)

मखाना अनुसंधान केंद्र, दरभंगा को फिर से मिला राष्ट्रीय दर्जा

अब मखाना के साथ मछली व जलीय फसलों पर भी दरभंगा राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान होगा। अब फिर से यह केंद्र राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र के नाम से जाना जायेगा। साथ ही केंद्र के अनुसंधान के क्षेत्र में भी विस्तार कर दिया गया है। इससे क्षेत्रवासियों में हर्ष का माहौल है। 18 साल के लबें इंतजार के बाद मखाना अनुसंधान केंद्र को सोमवार को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने पुनः उसकी गरिमा व शोहरत को लौटाते हुए इसे राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र का दर्जा दे दिया।

दरभंगा राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र की स्थापना 28 फरवरी 2002 में की गयी थी। स्थापना के तीन साल बाद ही 2005 में इसका नेशनल स्टेट्स छीन लिया गया था। इसका संचालन भरतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की पूर्वी अनुसंधान परिषद्, पटना से होता था। इस कारण इसका दायरा सिमट गया था। अनुसंधान समेत अन्य किसी भी कार्य के लिए केंद्र को पटना से अनुमति लेनी पड़ती थी। अब यह केंद्र के नियंत्रण में संचालित होगा। इसका अपना बजट होगा यह केंद्र अब सीधे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, दिल्ली के कृषि अभियांत्रिकी प्रभाग से संचालित होगा।

जारी आदेश के अनुसार अब इस केंद्र के दायरे में काफी विस्तार होगा। मखाना के साथ-साथ मछली एवं अन्य जलीय फसलों पर वैज्ञानिक स्वतंत्र रूप से रिसर्च कर सकेंगे। नये आदेश के बाद केंद्र में वैज्ञानिकों व टेक्नीशियनों की संख्या बढ़ेगी। भवन के साथ ही अन्य मूलभूत व्यवस्था में विस्तार किया जायेगा। मखाना अनुसंधान की ढांचागत स्थिति में बेहतर बदलाव की बात कही जा रही है। मिथिला के कृषि क्षेत्र में इसका सकारात्मक असर होगा। मखाना, मछली व स्थानीय जलीय फसलों के क्षेत्र में नये अनुसंधान के द्वार खुलेगें। इस मौके पर बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ के प्रबंध निदेशक ऋषिकेश कश्यप ने हर्ष प्रकट करते हुए कहा कि यहां के लोगों के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। स्थानीय फसलों को राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान मिलेगी। संघ के प्रबंध निदेशक ने प्रधानमंत्री एवं कृषि मंत्री को पत्र लिखकर धन्यवाद दिया।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 17.5.2023)

बिजली दर बढ़ाने की मांग नामंजूर

- **बिजली कंपनी ने विद्युत विनियामक आयोग को दिया था प्रस्ताव**
- **फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट के नाम पर वृद्धि चाहती थी कंपनी**

बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट (एफपीपीसीए) शुल्क के नाम पर 49 पैसे प्रति यूनिट बिजली दर बढ़ाने के बिजली कंपनी के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। आयोग सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार होल्डिग कंपनी ने इसको लेकर आयोग में याचिका दायर की थी, जिस पर सभी हितधारकों की सुनवाई के बाद आयोग के अध्यक्ष शिशिर सिन्हा और सदस्य एस. सी. चौरसिया की बेंच ने अपना फैसला दिया। सुनवाई के दौरान विनियामक आयोग ने कहा कि बिजली कंपनी से एफपीपीसीए शुल्क की गणना करने में गलती हुई है।

सूत्रों ने बताया कि आयोग ने कहा कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 के

पहले छह महीने में हुई बिजली खरीद में अनुमोदित दर से औसतन 0.49 पैसे प्रति यूनिट अधिक शुल्क लगने का दावा किया है। याचिकाकर्ता के मुताबिक सितंबर 2022 में समाप्त छमाही में विभिन्न स्त्रोतों से कुल 23629.60 एमयू बिजली 5.19 रूपये प्रति यूनिट की औसत दर से खरीदी गयी। किंतु, स्वीकृत 15 फीसदी बिजली वितरण हानि, 2.47 फीसदी केंद्रीय ट्रांसमिशन हानि और अनुमोदित 5.12 रूपये प्रति यूनिट बिजली खरीद दर की गणना करने पर बिजली खरीद की दर 10 पैसे प्रति यूनिट से अधिक नहीं होती।

नियमों के मुताबिक एफपीपीसीए तभी चार्ज किया जा सकता है, जब प्रति यूनिट राशि 10 पैसे प्रति यूनिट प्रति माह से अधिक हो। आयोग ने इस पर अपना फैसला देते हुए कहा कि ऐसे में संचयी रूप से एफपीपीसीए शुल्क वसूल करने की अनुमति देने का आदेश पारित करना उचित नही है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 17.5.2023)

हॉलमार्किंग में ज्वेलर का नाम नहीं दिखेगा

भारतीय मानक ब्यरो (बीआईएस)ने स्वर्ण आभूषणों की हॉलमार्किंग मामले में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत बीआईएस केयर ऐप में छह अंको वाला हॉलमार्किंग आईडी नंबर डालने पर हॉलमार्किंग करने वाले ज्वेलर का नाम नहीं दिखाई देगा। इसकी जगह उसका लाइसेंस नंबर ही दिखाई देगा। यह फैसला ज्वेलर्स संगठनों की मांग के मद्देनजर लिया गया है।

दरअसल, बीआईएस ने एक अप्रैल 2023 से देश के 288 जिलों में छह अंकों वाली हॉलमार्किंग आईडी व्यवस्था लागू कर दी है। इसके तहत बीआईएस केयर एप में आईडी संख्या डालकर आभूषण और उसे तैयार करने वाले ज्वेलर की पूरी जानकारी देखने की सुविधा दी गई थी। इसके लागू होने के बाद ज्वेलरों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा रहा था। इस मुद्दे को ज्वेलरों के कई संगठनों ने अलग-अलग मंचों पर उठाया था। वहीं, आभूषणों के वजन से संबंधित धोखाधड़ी रोकने के लिए बीआईएस केयर ऐप पर वजन कि जानकारी भी जोड़ी जायेगी।

आभूषण विक्रेताओं को यहां हो रही थी दिक्कत : कई छोटे और रिटेल ज्वेलर्स अपने लिए आभूषणों की खरीद बड़े होलसेलर और निर्माता से करते है। बीआईएस नियमों के मुताबिक जो भी आभूषण तैयार करके बेचेगा, उसका नाम हॉलमार्किंग के साथ दिखेगा। ज्वेलर संगठनों को इस पर आपत्ति थी। उनका कहना था कि छोटे ज्वेलर से गहने खरीदने पर उसका नाम हॉलमार्किंग में नहीं दिखता है। इससे ग्राहकों में विश्वास का संकट पैदा हो रहा था। कई ग्राहक छोटे ज्वेलर के पास न जाकर सीधे हॉलसेलर या बड़े निर्माता के पास पहुँच रहे थे। इसके चलते छोटे ज्वेलरों का व्यापार प्रभावित होने की आशंका थी।

अफसरों के साथ की थी बैठक : इसे लेकर इसी वर्ष 24 मार्च को ज्वेलर्स ने उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के सचिव रोहित कुमार सिंह के साथ बैठक भी की थी। इसमें उन्होने अपनी आपत्तियों से अवगत कराया था। इसके बाद बीआईएस केयर ऐप से ज्वेलर का नाम हटाने का फैसला लिया गया।

ऐप में अब यह दिखेगा : बीआईएस केयर ऐप में अब छह अंकों वाला हॉलमार्किंग आईडी नंबर डालने पर ज्वेलर की पंजीकरण संख्या, हॉलमार्किंग सेंटर का नाम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, पता और गहने का प्रकार, हॉलमार्किंग की तारीख और उसकी शुद्धता दिखेगी। ज्वेलर का नाम नहीं होगा।

यह भी बदलाव होगा : ऐप से आभूषण के निर्माण की तिथि की जानकारी भी हटाने की तैयारी है। इसका कारण बताया जा रहा है कि गहने बिकने में कुछ माह या साल लग जाते है। ऐसे में खरीदारों द्वारा निर्माण की तिथि जानने पर उसे नहीं खरीदने के मामले सामने आ रहे थे। **(सा.: हिन्दुस्तान, 17.5.23)**

टेक्सटाइल व लेदर यूनिट के लिए आवेदन 30 जून तक

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (टेक्सटाइल एवं लेदर) नीति 2022 के अंतर्गत आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई है, बियाडा ने इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य सरकार की यह महात्वाकांक्षी योजना है, जो पिछले साल से शुरू की गई है। जानकारी के मुताबिक इस नीति के तहत टेक्सटाइल और लेदर यूनिट लगाने पर रोजगार सृजन अनुदान के रूप में पांच हजार रूपये प्रति कर्मचारी भी देती है, इसके अलावा पावर अनुदान, पूंजी अनुदान, माल भाड़ा प्रतिपूर्ति, पैटेंट अनुदान और कौशल विकास अनुदान आदि दिये जाते हैं।

(साभार : प्रभात खबर, 9.5.2023)

इसी माह मुजफ्फरपुर में गारमेंट यूनिट से उत्पादन होगा शुरू

मुजफ्फरपुर में नवनिर्मित प्लग एंड प्ले शेड में पहली गारमेंट इकाई मई के अंतिम सप्ताह में शुरू होने की संभावना है, यूनिट एक प्रतिष्ठित ब्रांड के लिए गारमेंट्स बनायेगी, यह जानकारी विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौड्रिक ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर दी है।

पौड्रिक ने ट्वीट किया है कि यह गारमेंट यूनिट एक प्रतिष्ठित ब्रांड से संबधित है। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव पौड्रिक ने एक अन्य ट्वीट में बताया है प्रदेश के 10 औद्योगिक क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगानी शुरू हो चुकी है, इस पर काम बेहद तेजी से चल रहा है। पौड्रिक ने पुर्णिया, दरभंगा, हाजीपुर और बेगूसराय के औद्योगिक क्षेत्रों की सोलर स्ट्रीट लाइट की तस्वीरें भी ट्विटर हैंडल पर साझा की है।

(साभार : प्रभात खबर, 9.5.2023)

किताब फॉर्म में रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस की अब नहीं होगी बैकलॉग में इंट्री

बीएस 4 वाहन घोटाला उजागर होने के बाद परिवहन विभाग ने तैयार की गाइडलाइन, सभी जिलों को निर्देश

राज्य भर में बीएस 4 वाहन घोटाला उजागर होने के बाद परिवहन विभाग ने किताब फॉर्म में रजिस्ट्रेशन व ड्राइविंग लाइसेंस बुक की बैकलॉग में मैनुअल इंट्री पर रोक लगा दी है, विभाग ने सभी जिलों को दिशा-निर्देश भेजा है किताब फॉर्म में जो भी 15 साल पुराना वाहन दोबारा निबंधन या ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूवल के लिए आता है, तो उस किताब को रख कर उसे कार्ड दें और वाहन से जुड़ी सभी जानकारी को ऑनलान करें, लेकिन इस प्रक्रिया को करने के लिए परिवहन विभाग की नयी गाइडलाइन का पालन करना होगा, बिना गाइडलाइन का पालन किये निबंधन या लाइसेंस का रिन्यूवल नहीं होगा ।

(विस्तृत : प्रभात खबर, 9.5.2023)

रेल, सड़क और जल मार्ग से जुड़ेगा लॉजिस्टिक पार्क

फतुहा के जैतिया गांव में पार्क के लिए जल्द होगा सीमांकन, यहां मालवाहक भारी वाहन और मालगाड़ियां एक साथ आ सकेगी

फतुहा के जैतिया मौजा में 105 एकड में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा। इसके लिए भूमि अधिग्रहण का काम शुरू हो गया है। पार्क में कंटेनर टर्मिनल, कार्गो टर्मिनल, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, मशीनीकृत सामाग्री हैंडलिंग की सुविधा, रेस्त्रां, ड्राइवरों के लिए शयनगृह, कार्यशाला आयोजित करने का सभागार, फ्यूल सेंटर, ईवी चार्जिंग केंद्र, कंटेनर वाशिंग यार्ड, डिस्पेंसरी, कैंटीन, मनोरंजन पार्क, बाजार समिति और दुकानें भी होंगी। पास में गंगा नदी होने के कारण लॉजिस्टिक पार्क की रेल, सड़क के साथ जल मार्ग से भी संपर्कता होगी। नेशनल हाइवेज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड, नई दिल्ली ने पार्क के लिए भूमि अधिग्रहण का आग्रह जिला प्रशासन से किया था।

एजेंसियों को सौंपी जायेगी जमीन : अधिकारियों का कहना है कि पिछले साल रेल-सड़क मार्ग से जुड़े इस जगह को चिन्हित किया गया था। अब अधिग्रहन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके बाद निर्माण एजेंसियों को भूमि सौंप दी जाएगी। पार्क बनने से फतुहा व आसपास में तेजी से विकास होने की संभवना है, क्योकि व्यावसायिक तौर पर पटना जिले में यह पहला सेंटर होगा जहां देश भर से मालवाहक भारी वाहन और मालगाड़ियाँ एक साथ आएंगी।

नेउरा-दनियावां से जुड़ेगा : फतुहा में प्रस्तावित लॉजिस्टिक पार्क सड़क और रेल मार्ग से जुड़ा रहेगा। सड़क मार्ग से देश के विभिन्न हिस्सों से यह पार्क भारतमाला परियोजना के तहत बन रही एनएच-199 यहां आमस-दरभंगा नेशनल हाईवे से जुड़ा रहेगा। रेलमार्ग से यह सेंटर नेउरा-दनियावां रेलखंड से जुड़ेगा। देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले मालगाड़ियों को इसी रेलमार्ग से लॉजिस्टिक पार्क तक पहुंचाया जाएगा।

देश में 35 जगहों को विकसित करने की मंजूरी : आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने देश में मल्टी लॉजिस्टिक पार्क को विकसित करने के लिए 35 स्थानों की मंजूरी दी है। राज्य सरकार के सहयोग से नेशनल हाइवेज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड और रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा इस पार्क को विकसित किया जाएगा । नेशनल हाइवेज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड नई दिल्ली के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने लॉजिस्टिक पार्क के लिए 105 एकड़ भूमि फतुहा में अधिग्रहित करने के लिए डीएम पटना को पत्र भेजा है। देश के अन्य जगहों पर बनाए जाने वाला लॉजिस्टिक पार्क की ही डिजाइन फतुहा में तैयार किया जाना है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 7.5.2023)

तीसरी लाइन के लिए किऊल डीडीयू रेल मार्ग पर सर्वे शुरू

किऊल-पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मार्ग पर बहुप्रतीक्षित तीसरी रेल लाइन बिछाने के लिये सर्वे शुरू हो गया है। अगले कुछ महीनों तक विशेषज्ञों की टीम 330 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर इंजीनियरिंग और ट्रैफिक की स्थिति को लेकर गहन अध्ययन करेगी। विशेषज्ञों की टीम मार्ग की बाधाओं और उससे पार पाने के उपायों को लेकर भी रिपोर्ट सौपेंगी। किऊल से लेकर दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन के बीच अभी दोहरी पटरी बिछी है। रेल यात्रा विशेषज्ञों का कहना है कि तीसरी लाइन बनने से पटना, राजेन्द्रनगर, दानापुर सहित प्रमुख स्टेशनों से खुलने वाली और इस रूट से गुजरने वाली ट्रेनों की रफ्तार भी बढ़ेगी और अतिरिक्त ट्रेनों की चलाने की दिशा में निर्णय लिये जा सकेंगे।

इस संबंध में पूर्व मध्य रेल के सीपीआरओ वीरेन्द्र कुमार ने बताया कि किऊल डीडीयू रेल मार्ग पर सर्वे शुरू कर दिया गया है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बाद डीपीआर बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होने कहा कि सर्वे के दौरान किसी तरह की फंड की कमी नहीं होगी। इस कार्य के लिए जोन के पास पर्याप्त फंड है। इसे अगले कुछ महीनों में तैयार कर लिया जाएगा।

और बेहतर होगी ट्रेनों की गति : रेलवे द्वारा कई रूटों पर वंदे भारत व अन्य सेमीहाइस्पीड ट्रेनों को चलाने की योजना है। वर्तमान परिस्थितियों में ट्रेनों की गति बढ़ाने की एक बाधा ट्रैक सेचुरेशन है। डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर और ग्रैंड कॉर्ड लाइन पर तेजी से काम जारी है, जिसमें काफी हद तक ट्रेनों की स्पीड बढ़ेगी। तीसरी पटरी का विकल्प मिलने से आने वाले ट्रेनों में की गति बढ़ेगी। साथ ही पटरियों की मेंटेनेस की गुणवता और संरक्षा के मानकों का बेहतर पालन हो सकेगा।

दिन भर एक के पीछे एक ट्रेनें चलने से कराह रहीं पटरियाँ : हावड़ा पंडित दीनदयाल रेलखंड पर ट्रेनों का बोझ क्षमता से अधिक है। एक के पिछे एक ट्रेनें चलती रहती है। मार्ग में किसी तरह का अवरोध होने पर ट्रेनों की भारी लेटलतीफी होने लगती है। पटरियों के रखरखाव के लिए कर्मियों को भारी पसीना बहाना पड़ता है। रेलवे की तकनीकी भाषा में इस रूट पर ट्रैक सेचुरेशन बहुत ज्यादा है। अधिकारियों ने बताया कि इस रेलखंड पर विशेषकर पटना से पंडित दीलदयाल उपाध्याय रेलखंड पर यह ट्रैक सेचुरेशन खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। एक सीमित दूरी के बीच एक समय में ट्रेनों के गुजरने की जो मानक संख्या है, उससे अधिक ट्रेनें रेल की पटरियों पर गुजरती है। रेलवे बोर्ड के अधिकारी भी संरक्षा के नजरिये से इसे बेहद संवेदनशील मानते हैं।

(साभार : हिन्दुस्तान, 15.5.2023)

14 पैकेज टूर संचालित, एक-दो टूर की ही बुकिंग

बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम कि ओर से 14 पैकेज टूर संचालित किये जा रहे है, लेकिन हकीकत यह है कि जब से ये पैकेज टूर तैयार किये गये है, इनमें से एक-दो ही पैकेज टूर का आनंद पर्यटकों ने उठाया है। अधिकतर टूर का संचालन एक बार भी नहीं हुआ है। ये पैकेज टूर लगभग एक साल से संचालित हो रहे हैं। पैकेज टूर का चार्ज बहुत अधिक है, कर्मचारियों की मानें तो पैकेज टूर बुकिंग के लिए जो कंडिशन है, उन्हें पर्यटक पूरा नहीं कर सकते है। स्पेशल पैकेज टूर का संचालन डीलक्स बस (एसी) के लिए 15 से 30 पर्यटक होने पर ही होगा, अगर पर्यटक डेकर बस (एसी) से भ्रमण करना चाहते हैं तो उनकी संख्या 20 होना जरूरी है, स्कूली बच्चों के लिए पटना दर्शन पैकेज टूर के लिए प्रति बच्चा 2500 रूपये और कम से कम तीन बच्चों का होना अनिवार्य है।

ये हैं पैकेज टूर : • पटना-बोधगया-राजगीर-नालंदा-पटना (दो रात और तीन दिन) • पटना-बोधगया-पावापुरी-राजगीर-पटना (दो रात और तीन दिन) • पटना-बेतिया-वाल्मिकी नगर-लौरिया नंदनगढ़-कैसरिया-वैशाली-पटना (दो रात और तीन दिन) • पटना-सासाराम-कैमूर-पटना (एक रात और दो दिन) • पटना-दानापुर-पटना साहिब (एक दिवसीय) • पटना-पावापुरी-ककोलत-पटना (एक दिवसीय) • पटना-बराबर (गुफा)-गया-बोधगया-पटना (एक रात और दो दिन) • पटना-बोधगया-राजगीर-नालंदा-पटना (पांच रात और छह दिन) • पटना-बांका-मंदार हिल-भागलपुर-पटना (तीन रात और चार दिन) • पटना-औरंगाबाद-सासाराम-भभुआ-रोहतास-पटना (दो रात और तीन दिन) • पटना-वैशाली-मोतिहारी-बेतिया-पटना (तीन रात और चार दिन) • पटना दर्शन (स्कुली बच्चे) (एक दिवसीय) • पटना दर्शन (पैकेज वीकेंड)(एक दिन) • पटना दर्शन धार्मिक टूर

पर्यटन निगम ने पर्यटकों को एक दर्जन से अधिक टूर पैकेज दिये हैं, पैकेज टूर का लगातार संचालन हो रहा है। लोग अपनी सुविधा और बजट के अनुसार पैकेज की बुकिंग कराते हैं। कुछ पर्यटकों से सुझाव मिला है कि रेट अधिक है, सुझाव के अनुसार बदालाव भी कर रहे हैं।

– अभिजीत कुमार, महाप्रबंधक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम

(साभार : प्रभात खबर, 13.05.2023)

फुलवारी में हाईटेक बस स्टैंड एयरपोर्ट जैसी होगी फैसिलिटी

अब पटना में एयरपोर्ट की तर्ज पर आधुनिक सरकारी बस स्टैंड की सुविधा मिलेगी, चकाचक एसी परिसर और हर जिले की बसों के लिए अलग प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। फुलवारीशरीफ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दिनांक 16.5.2023 को नए परिवहन परिसर का उद्घाटन किया। यहां मुंबई और भोपाल की तरह सुविधा मिलेगी। यहां से पटना एवं विभिन्न जिलों के लिए बसें खुलेगीं।

सुविधा देना प्राथमिकता – सीएम : सीएम ने मौके पर कहा कि लोगों को सुविधा मुहैया कराना सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसलिए फुलवारी शरीफ में नया परिसर बनाया गया है। इसी परिवहन परिसर में एक ही छत के नीचे विभाग के सभी काम एक जगह होंगे।

हर जिले की बसों के लिए अलग- अलग प्लेटफॉर्म : परिवाहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिलों और शहर के लिए खुलने वाली बसों के लिए हाईटेक तरीके के प्लेटफार्म तैयार किए गए हैं। बस हर दिन निर्धारित समय और निर्धारित प्लेटफॉर्म पर लेगेगी, इस व्यवस्था के लागू होने से दूर-दराज की यात्रा करने वाले यात्रियों को बस ढूढने के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। शुरूआती समय में इलेक्ट्रिक बसों को प्रयोग के तौर पर शुरू किया जाएगा, इसके बाद जिलों के लिए खुलने वाली बसों का परिचालन शुरू होगा।

(साभार : आईनेक्स्ट, 17.5.2023)

दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में डीजल वाहनों पर लगेगा प्रतिबंध !

भारत को 2027 तक 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में डीजल से चलने वाले चार पहिया वाहनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। पेट्रोलियम मंत्रालय की एक समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह बात कही । साथ ही समिति ने कहा कि बिजली और गैस से चलने वाले वाहनों को बढ़वा देना चाहिए । पूर्व पेट्रोलियम सचिव तरूण कपूर की अगुवाई वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट में 2035 तक आंतरिक दहन इंजन वाले मोटरसाइकिल, स्कुटर और तिपहिया वाहनों को हटाने का सुझाव भी दिया गया है। समिति ने इस साल फरवरी में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 10 वर्षो में शहरी क्षेत्रों में एक भी डीजल शहरी परिवहन बस नहीं होनी चाहिए। सरकार ने अभी तक रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया है।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 9.5.2023)

जेपी गंगा पथ : पहले चरण में दीघा से शेरपुर तक 11.5 किलोमिटर, दूसरे में दीदारगंज से बख्तियारपुर के बीच 35 किमी होगा निर्माण

इस पर करीब 13100 करोड़ रूपए खर्च होंगे

जेपी गंगा पथ का जल्द विस्तार शुरू होगा। इसकी तैयारी चल रही है। पहले चरण में दीघा से शेरपुर के बीच 11.5 किमी का टेंडर होगा । वहीं दूसरे चरण में दीदारगंज से बख्तियारपुर के बीच 35 किमी हाईवे का निमार्ण होगा। बीएसआरडीसी ने दीघा से शेरपुर के बीच एलिवेटेड रोड बनाने के लिए डीपीआर तैयार कर लिया है। इसकी कुल लंबाई 11.5 किमी है। इस पर करीब 3100 करोड़ रूपए खर्च होगें । वहीं दीदारगंज से बख्तियारपुर के बीच 35 किमी लंबा एलिवेटड रोड के लिए करीब 10 हजार करोड़ खर्च होने की संभावना है। इसका डीपीआर बनाया जा रहा है। बीएसआरडीसी के सीजीएम कमर आलम ने कहा कि पहले चरण में दीघा से शेरपुर के बीच एलिवेटेड रोड का निमार्ण किया जाएगा । वर्तमान समय में दीघा से दीदारगंज के बीच 20.5 किमी का निमार्ण कार्य चल रहा है। दीघा से शेरपुर के बीच 11.5 किमी और दीदारगंज से बख्तियारपुर के बीच 35 किमी का निमार्ण होने के बाद जेपी गंगा पथ की कुल लंबाई 67 किमी हो जाएगी। इसके साथ ही चार गंगा ब्रिज को सीधी कनोक्टिविटी मिलेगी । इसमें शेरपुर-दिघवारा, जेपी सेतु, महात्मा गांधी सेतु, और कच्ची दरगाह-विद्दुपुर शामिल है।

शहर से कनेक्टिविटी

शहर के इन जगहों से होगी कनेक्टिविटी :
दीघा-जेपी सेतु-अटल पथ-पाटली पथ-अशोक राजपथ

एलसीटी घाट	3.25	कृष्णा घाट	8.5	पटना घाट	16.5
एएन सिन्हा	5.4	गायघाट	12.1	दीदारगंज	20.5
पीएमसीएच	7.4	कंगन घाट	15.5		

पटना सिटी आना जाना होगा आसान : जेपी गंगा पथ के बीच गायघाट कनेक्टिविटी चालू होते ही सिटी आना-जाना आसान होगा। एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट से सिटी की ओर आने जाने के लिए जेपी गंगा पथ से जाम मुक्त सफर कर सकेंगे। **(साभार : दैनिक भास्कर, 17.5.2023)**

यातायात नियम तोड़ा तो कटेगा ई-चालान, 10 हजार तक जुर्माना

90 दिनों में जुर्माना नहीं भरा तो फिटनेस, प्रदूषण, ऑनरशिप ट्रांसफर पर लगेगी रोक

मोबाइल पर आएगा जुर्माना भरने का मैसेज : आठ यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर ई-चालान कटेगा । इनमें बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, ओवर स्पीडिंग, स्टॉप लाइन वॉयलेशन, रांग साइड ड्राइविंग, ट्रिपल राइडिंग, वाहन चलाते मोबाइल पर बात और ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन शामिल है । कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में यातायत पुलिस की प्रतिनियुक्ति की गई है। यातायात नियम का उल्लंघन करने पर तत्काल सिस्टम द्वारा वाहन नंबर सहित चालक का फोटो कैप्चर हो जाता है। इसके बाद यातायात पुलिस द्वारा नंबर वेरिफाई कर ई-चालान भेजा जाता है। 20 मार्च से अबतक 487 लोगों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ऑनलाइन चालान भेजा गया है। इनमें सबसे अधिक ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन करने वाले 317 वाहन चालक है। रांग साइड चलने के मामले में 150 और ओवर स्पीडिंग में 20 लोगों का ई-चालान काटा गया है।

यह होगा जुर्माना : • बिना हेलमेट होने पर : 1000 रूपए • सीट बेल्ट नहीं लगाने पर : 1000 रूपए • स्टॉप लाइन वॉयलेशन : 5000 रूपए • रांग साइड ड्राइविंग : पहली बार 5000, दुसरी बार 10 हजार • वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात : पहली बार 5000, दूसरी बार 10 हजार • ओवर स्पीडिंग : एलएमवी-2000 रूपए, एचएमवी-4000 रूपए • ट्रैफिक सिग्नल वॉयलेशन : पहली बार 5000, दुसरी बार 10 हजार • बाइक पर दो से अधिक सवारी : 1000 रूपए **(साभार : दैनिक भास्कर, 3.5.2023)**

परिवहन विभाग
प्रेस विज्ञप्ति
सभी वाहन स्वामी कृप्या ध्यान दें

मोटर वाहनों का ससमय कर जमा करना अनिवार्य है। वाहनों के कर बकाया होने की स्थिति में उन पर देय कर के अतिरिक्त 200% तक अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है।

पूरे राज्य में 04 लाख से अधिक वाहन टैक्स डिफाल्टर हैं, जिनपर लगभग 900 करोड़ रूपये मोटरवाहन कर एवं अर्थदण्ड बकाया है।

अत: इस विज्ञप्ति के माध्यम से निदेश दिया जाता है कि संबधित जिला परिवहन कार्यालय से संपर्क कर अपने वाहन का देयकर एवं अर्थदण्ड यथाशीघ्र जमा कराना सुनिश्चित करें अन्यथा विभाग द्वारा इस मामले में नियम संगत कार्रवाई करते हुए संबधित वाहन, स्वामियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी ।

विस्तृत जानकारी **state.bihar.gov.in/prdbihar** से प्राप्त की जा सकती है ।

(साभार : आज, 9.5.2023)

'संचार साथी' पोर्टल लॉन्च, अब खोये मोबाइल की होगी निगरानी

दूरसंचार विभाग का यह पोर्टल मोबाइल नंबर जानने, उनके खोये हुए फोन को खोजने व ब्लॉक करने की सुविधा देगा

अगर आपके नाम से जारी मोबाइल नंबर खो जाता है या चोरी हो जाता है, तो अब उसे ब्लॉक करवाने के लिए भटकना नहीं होगा। दूरसंचार विभाग ने अपने नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए अभिनव डिजिटल पोर्टल संचार साथी (sancharsaathi.gov.in) को लॉन्च किया।

लॉन्चिंग के मौके पर को दूरसंचार विभाग (डॉट, बिहार) के विशेष महानिदेशक जी. के. मिश्रा ने बताया कि संचार साथी पोर्टल नागरिकों को उनके नाम से जारी किये गये मोबाइल नंबर जानने और उनके खोये हुए फोन को खोजने और ब्लॉक करने की सुविधा देगा। पोर्टल के दो मॉड्यूल टैफकॉप और सीइआइआर हैं। टैफकॉप (टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एण्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन) मॉड्यूल एक मोबाइल ग्राहक को उसके नाम से जारी किये गये मोबाइल कनेक्शन की संख्या की जाँच करने की सुविधा देगा।

यह उन्हें उन मोबाइल कनेक्शन की रिपोर्ट करने में भी सुविधा देगा, जिनकी या तो जरूरत नहीं है या सब्सक्राइबर द्वारा नहीं लिया गया है। इसके अलावा मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, एक व्यक्तिगत ग्राहक भारत में सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) से कुल मिलाकर अधिकतम नौ मोबाइल कनेक्शन प्राप्त कर सकता है।

• पोर्टल के दो मॉड्यूल टैफकॉप और सीइआइआर • पुलिस स्टेशनों पर भी हो सकेगा ऑनलाइन शिकायत दर्ज • इसके लिए पुलिस स्टेशनों को दिया जायेगा पासवर्ड • शिकायत कहाँ तक पहुँची, इसे कर सकते हैं ट्रेस

फोन के आइएमआइ को ऐसे कर सकते हैं ब्लॉक : • शिकायतकर्त्ता पुलिस शिकायत की एक प्रति के साथ सीइआइआर पोर्टल पर ब्लॉकिंग का अनुरोध कर सकते हैं • सीइआइआर पोर्टल नागरिकों को बरामद फोन के आइएमइआइ को अनब्लॉक करने में भी मदद करेगा • ब्लॉक कराने के लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस करना होगा प्रस्तुत

दर्ज कर सकते हैं ऑनलाइन शिकायत : मिश्रा ने बताया कि थानों में जाकर आवेदक ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए थानों को पासवर्ड दिया जायेगा। साथ ही मामला कहा तक पहुँचा है, शिकायतकर्ता इसे ट्रेस भी कर सकते है। आवेदन करने के दो-तीन दिन के भीतर कार्रवाई हो जायेगी। निदेशक (दूरसंचार, पटना) वी. एम. पटेल ने बताया कि सीइआइआर (सेंट्रलाइज्ड इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर), संचार साथी पोर्टल का अन्य मॉड्यूल खोये हुए मोबाइल फोन को पाने की सुविधा देगा। पोर्टल पर रिपोर्ट किया हुआ खोया मोबाइल फोन पूरे देश में किसी भी नेटवर्क में उपयोग करने योग्य नहीं रहेगा। अगर उसके उपयोग का प्रयास किया जाता है, तो इसकी रिपोर्ट तैयार हो जाती है। **(साभार : प्रभात खबर, 17.5.2023)**

जमीन-फ्लैट के निबंधन में 1 जून से गवाह जरूरी नहीं

राज्य में जमीन, फ्लैट, मकान समेत अन्य के निबंधन का प्रावधान 1 जून से बदल जाएगा। अब इनके निबंधन की प्रक्रिया में गवाह की अनिवार्यता समाप्त होने जा रही है। अब दो या चार गवाहों को लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, न क्रेता को और न ही बिक्रेता को।

इस नए प्रावधान के तहत निबंधन कार्यालय में सिर्फ जमीन या फ्लैट खरीदने और बेचने वाले ही आएंगे। इस नए नियम को बहाल करने को लेकर उत्पाद, मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। साथ ही संबंधित कंपनी को सॉफ्टवेयर में अहम बदलाव करने को भी कहा है। इसके लिए 1 जून तक की डेटलाइन है। इस बदलाव से अब जमीन-फ्लैट के क्रेता या विक्रेता को सिर्फ अपना आधार नंबर देना होगा और इसे बॉयोमेट्रिक प्रणाली के जरिए वैध करना होगा। इसी के जरिए रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी होगी।

रोज 5 हजार निबंधन : राज्य में छोटे-बड़े सभी तरह के 137 निबंधन कार्यालय हैं। इन सभी में रोजाना औसतन 5 हजार निबंधन होते हैं। अगर बेवजह की भीड़ कम होगी, इनकी संख्या बढ़ेगी और इससे राजस्व संग्रह को बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी। **(साभार : प्रभात खबर, 12.5.2023)**

अगर लोग नहीं संभले, तो जल्द हो जायेंगे बहरे

मोडिफाइड साइलेंसर व तेज हॉर्न से सबसे अधिक बढ़ रहा है ध्वनि प्रदूषण

ध्वनि प्रदूषण से होने वाली बीमारियाँ : आइजीआइएमएस इएनटी विभाग के एचओडी डॉ राकेश कुमार सिंह ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण के कारण लोग अब ऊँचा सुनने लगे हैं। तेज आवाज से कान का चदरा फट जाता है और ऐसे हजारों मरीज हर माह में इलाज के लिए पहुँचते हैं। पीएमसीएच के फिजिशियन डॉ. अभिजीत ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण बढ़ने से लोगों के अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, मानसिक कमजोरी और ऊँचा सुनना की आदत बढ़ जाती है। लोग बहरापन के शिकार हो जाते है।

मोडिफाइड गड़ियों में ध्वनिप्रदूषण अधिक : परिवहन विभाग मोडिफाइड साइलेंसर व तेज हॉर्न वाली गड़ियों को पकड़ने के बाद जुर्माना वसूलता है। बावजूद इसके गाड़ी में हॉर्न को बदलकर तेज आवाज का हॉर्न लगाया जाता है। नियम के अनुसार, अस्पताल के पास तेज हॉर्न बजाना गलत है।

गड़ियों का आंकड़ा

साल	निबंधित गाड़ी	साल	निबंधित गाड़ी
2016-17	763618	2020-21	908167
2017-18	1113806	2021-22	1004875
2018-19	120218	2022-23 (31जनवरी)	931046
2019-20	1350706		

ध्वनि प्रदूषण का हाल

डाक बंगला चौराहा	86.5	आर ब्लाक	86.6
एक्जीविशन रोड	90.4	कंकड़बाग	89.4
जेपी गोलंबर	85.0	राजेन्द्र नगर टर्मिनल	87.5
कारगिल चौक	87.2	सिटी चौक	89
अशोक राज रथ	84.7	नाला रोड	84.3

(सभी आंकड़ें डेसीबल में)

(साभार : प्रभात खबर, 15.5.2023)

जमीन की खरीद-बिक्री होने पर अब ऑनस्पॉट होगा दाखिल-खारिज

अब जमीन की खरीद-बिक्री होने पर नगर निगम के अधिकारी ऑन स्पॉट दाखिल-खारिज करेंगे। इसके लिए निबंधन विभाग ने छज्जूबाग और पटना सिटी निबंधन कार्यालय में निगम कर्मियों के बैठने के लिए जगह उपलब्ध कराई है। जिला अवर निबंधन पदाधिकारी धन्नंजय कुमार राव ने कहा कि निगमकर्मियों के बैठने के लिए जगह उपलब्ध कराई गई है। जल्दी ही नगर निगम द्वारा दाखिल-खारिज करने की सुविधा बहाल की जाएगी। जमीन खरीदने वालों को दाखिल-खारिज करवाने के लिए नगर निगम के अंचल कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा जिला निबंधन कार्यालय छज्जूबाग और निबंधन कार्यालय पटना सिटी में दो-दो निगमकर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।

पाटलिपुत्र अंचल की कार्यपालक पदाधिकारी प्रतिभा सिन्हा ने कहा कि खाली जमीन के साथ मकानों और फ्लैटों की होने वाली खरीद-बिक्री का दाखिल- खारिज कर टैक्स लिया जाएगा।

अंचल कार्यालय में दाखिल-खारिज कराने का पुराना ही नियम : निबंधन कार्यालय में जमीन की होने वाली खरीद-बिक्री का दाखिल-खारिज अंचल कार्यालय से कराने के लिए अभी पुराना नियम लागू है। एक खरीदार और एक विक्रेता होने पर दाखिल-खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं करना है। एक से अधिक खरीदार या विक्रेता होने पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हालांकि, निबंधन कार्यालय में नए सॉफ्टवेयर के पूरी तरह से कार्यरत होने पर अंचल कार्यालय में भी दाखिल-खारिज की सुविधा मिलेगी।

(साभार : दैनिक भास्कर, 9.5.2023)

जमीन का मूल मालिक ही दे सकता अधिग्रहण को चुनौती

सर्वोच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि 'भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने का अधिकार सिर्फ जमीन के मूल मालिक को है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि बाद में जमीन खरीदने वाले व्यक्ति को जमीन के अधिग्रहण को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है।

जस्टिस एम. आर. शाह और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने डीडीए की अपील को स्वीकार करते हुए यह फैसला दिया है। पीठ ने शिव कुमार (सुप्रा) और गॉडफ्रे फिलिप्स (आई) लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में पारित फैसले का हवाला देते हुए कहा कि बाद के जमीन खरीदार के पास अधिग्रहण को चुनौती देने या प्रकिया को समाप्त घोषित करने की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है। पीठ ने कहा कि कानून के तहत सिर्फ जमीन के मूल मालिक को ही अधिग्रहण को चुनौती देने का अधिकार है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें जमीन खरीदने वाले की याचिक पर अधिग्रहण की प्रक्रिया को समाप्त मान लिया था।

(साभार : हिन्दुस्तान, 8.5.2023)

एक ही पोर्टल पर उठाएँ 13,000 सेवाओं को लाभ

जमाना ऑनिलाइन सेवाओं का है। इससे आमलोगों को भी सहूलियत हो रही है। एक तो समय की बचत, दूसरा दफ्तरों के चक्कर से मुक्ति और सबसे अहम पारदर्शिता की बात है। ऑनिलाइन यूजर्स की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार की भी कोशिश है कि अधिक से अधिक संख्या में लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाए। इसी कड़ी में केन्द्र सरकार ने नेशनल गवर्नमेंट सर्विस पोर्टल (https://services.india.gov.in) शुरू की है। पोर्टल की सहायता से आमलोग जरूरी काम घर बैठे निबटा सकते हैं। साथ ही जरूरी कागजात भी बनवा सकेंगे। इस पोर्टल पर 13,000 से भी ज्यादा सर्विसेज मिलेंगी, यह पोर्टल यह भी सुनिश्चित करता है कि विभिन्न वेबसाइटों के माध्यम से केन्द्र, राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर सरकारी संस्थाओं द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं को एक प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराया जा सके। पोर्टल पर 15 प्रमुख सार्वजनिक सेवा क्षेत्रों की सेवाएँ उपलब्ध हैं।

विभिन्न मंत्रालय की सेवाएँ भी उपलब्ध : इस पोर्टल पर वित्त मंत्रालय की 92 स्वास्थ्य-परिवार कल्याण की 39, कार्मिक लोक शिकायत व पैंशन की 31, इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी की 23, संचार मंत्रालय की 21, रेलवे की 19, शिक्षा की 17, गृह की 16, विदेश, श्रम-रोजगार और महिला-बाल विकास की 15-15 कृषि व किसान कल्याण की 12, पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन को 9, रक्षा व पर्यटन की 8-8 और ग्रामीण विकास मंत्रालय की 4 सेवाएँ उपलब्ध हैं। **(विस्तृतः प्रभात खबर, 9.5.2023)**

अब वापस मिलेगा चोरी हुआ मोबाइल

पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद सभी जिलों में गठित की गई विशेष टीम

• 170 मोबाइल इस साल मार्च तक बरामदगी हुई • 281 मोबाइल लोगों को लौटाए गए जनवरी से अप्रैल तक

बिहार पुलिस आपका चोरी या छीना हुआ मोबाइल आप तक वापस पहुँचाएगी। पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद इस बाबत सभी जिलों में विशेष रिकवरी टीम का गठन किया गया है। इसका काम चोरी और छीने गए मोबाइल फोन व अन्य डिजिटल उपकरणों को ट्रेस कर बरामद करना होगा।

बरामदगी के बाद यह उसके मालिक तक पहुँचाए जाएंगे। पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेन्द्र सिंह गंगवार ने बताया कि समस्तीपुर, बक्सर जैसे जिलों में इस पर पहले से काम हो रहा है। अब राज्य के सभी जिलों में विशेष रिकवरी टीम को इस काम में लगाया गया है।

बक्सर जिले में पिछले साल से अभी तक 1159 मोबाइल फोन बरामद कर वापस लौटाए गए हैं। इस साल मार्च तक 170 मोबाइल फोन की बरामदगी हुई है। वहीं समस्तीपुर में जनवरी से अप्रैल तक 75 लाख मूल्य के 281 मोबाइल फोन बरामद कर लोगों को लौटाए गए हैं। इसके अलावा गया में 51, किशनगंज में 27 और पटना के दानापुर में 20 चोरी के मोबाइल पुलिस ने बरामद किए हैं। मोबाइल के बाद जल्द ही लैपटाप को भी लेकर भी यह अभियान चलाया जाएगा। **(साभार : दैनिक जागरण, 9.5.2023)**

स्टील उद्योग के कचरे से बनी खाद कृषि को दे रही संबल

टाटा स्टील का नवाचार, एलडी स्लैग से बने उर्वरक को सात राज्यों के किसान कर रहे प्रयोग

देश की अग्रणी कंपनी टाटा स्टील ने हाल ही में एलडी स्लैग (स्टील उत्पादन में निकालने वाला कचरा) से उर्वरक बनाकर कृषि के क्षेत्र में अनोखा प्रयोग किया है। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में स्थापित संयंत्र में धुर्वी गोल्ड उर्वरक तैयार किया जा रहा है।

किसानों का कहना है कि इस खाद से फसलों के उत्पादन में 25 से 70 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ लागत भी कम हुई है। इतना ही नहीं कैल्सियम, सल्फर, सिलिका, आयरन, मैग्नीशियम, मोलिबेडिनियम, बोरोन, फास्फोरस (पीपीएम) व जिंक से युक्त होने के कारण यह खाद फसलों के साथ मिट्टी को भी पोषण उपलब्ध करा रही है।

घटी डीएपी व यूरिया की खपत : अब तक किसान फसलों की पैदावार के लिए डाइ-अमोनियम फास्फेट (डीएपी) के साथ यूरिया मिलाकर अपने खेतों में डालते रहे है। यूरिया विदेश से आयात होता है और कई बार जरूरत के समय उपलब्ध नहीं हो पाता है। किसानों का कहना है कि स्लैग से बनी खाद के इस्तेमाल से डीएपी व यूरिया की खपत 50 प्रतिशत तक कम हो गई है। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 18.05.2023)**

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्राथमिकता हो

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने कहा कि सभी राज्यों में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन की समस्या के निदान के लिए उच्च प्राथमिकता से काम करने के साथ ही कड़ी निगरानी की जरूरत है।

एनजीटी ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकारों को ठोस व तरल कचरा का तय मानदंडों के तहत निपटारे के लिए उच्च स्तरीय प्रशासनिक कवायद सुनिश्चित करनी होगी।

एनजीटी प्रमुख न्यायमूर्ति ए. के. गोयल की अगुवाई वाली पीठ ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के मामले पर सुनवाई पूरी करते यह टिप्पणी की है। पीठ ने कहा कि मौजूदा आदेश के दायरे में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों द्वारा दाखिल किए गए आंकड़ों का संकलन और देश में कचरा प्रबंधन की पृष्ठभूमि की तुलना करने के अलावा आगे के कदमों के लिए निर्देश देना व विश्लेषण करना शामिल है।

पीठ ने कहा है कि ट्रिब्यूनल ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को हर छह महिने में प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया, जिन पर आवश्यकता पड़ने पर आगे विचार किया जा सकता है। पीठ में न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल भी शामिल थे।

जवाबदेही तय करने की जरूरत : पीठ ने कहा कि ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन की समस्या के निदान के लिए उच्च प्राथमिकता से काम करने के साथ कड़ी निगरानी की जरूरत है। साथ ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष निगरानी प्रकोष्ठ गठित कर निर्धारित समय पर काम नहीं होने पर जवाबदेही तय करने की जरूरत है।

जल प्रदुषण से निपटा जाए : एनजीटी ने कहा है कि गंगा और यमुना सहित बड़ी संख्या में नदियों, झीलों, तटीय क्षेत्रों और अन्य जल निकायों का पानी प्रदूषित हो रहा और इससे युद्धस्तर पर निपटने की आवश्यकता है। इसके लिए जहां व्यवहार्य हो, वहां स्वेदेशी प्रौद्योगिकी या किसी अन्य प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की जरूरत है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 22.05.2023)**

भूमि विवाद निपटारे के लिए अब ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे

बिहार भूमि विवाद निराकरण एक्ट को लोगों के लिए और सहज बनाया गया

बिहार भूमि विवाद निराकरण एक्ट (बीएलडीआरए) के तहत अब ऑनलाइन वाद दायर किया जा सकता है। इसके लिए भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में उपस्थित होना जरूरी नहीं है। साथ ही वाद में आए निर्णय को ऑनलाइन देखा भी जा सकता है। इस एक्ट के तरत रैयती जमीन से छोटे-मोटे झगड़े सुलझाने के लिए टाइटल निर्धारित करने के अधिकार भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को दिया गया है। इसमें भी फर्स्ट कम फर्स्ट आउट (फीफो) सिस्टम लागू रहेगा। यानी पहले आवेदन करने का मामला पहले ही निष्पादित किया जाएगा।

यह जरूरी क्यों : इसका उद्देश्य राज्य में स्वत्वाधिकार अभिलेखों, चौहद्दी, राजस्व अभिलेखों की प्रविष्टियों, रैयती भूमि के गैर कानूनी दखल और सार्वजनिक भूमि के आवंटियों की जबरन बेदखली से उत्पन्न समस्याओं के शीघ्र व प्रभावी निराकरण करना है। इसके अतिरिक्त व्यवहार न्यायलयों एवं उच्च न्यायलयों में दायर अनावश्यक वादों को नियंत्रित करने का ध्येय लेकर भी इस अधिनियम का गठन किया गया है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 14.05.2023)**

राज्य भर में टैक्स डिफॉल्टर के घरों तक पहुँचेंगे चलंत सिपाही, वाहन मालिकों को देंगे नोटिस

राज्य में चार लाख से अधिक निजी एवं व्यवसायिक वाहन मालिक वर्षों से टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं, जिन्हें परिवहन विभाग ने डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। अब डिफाल्टरों पर कार्रवाई की जायेगी।

विभाग ऐसे सभी डिफॉल्टरों के घरों तक चलंत सिपाही भेजेगा, जो वैसे वाहन मालिकों को नोटिस चस्पा करेगा। इससे टैक्स डिफॉल्टरों से राशि वसूलने में तेजी आ सकेगी। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 31.5.2023)**

EDITORIAL BOARD

Editor
AMIT MUKHERJI
Secretary General

Convenor
SUBODH KUMAR JAIN
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-2677605, 2677505, 2677635
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Designed & Printed by : Sharada Enterprises, Ph. : 0612-2667296